

Super laid 6/9/12 (I)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No.F.3(3)/Fin(Rev-I)/2012-13 /DSM/452

Dated the 15/6/2012

NOTIFICATION

No.F.3(3)/Fin(Rev-I)/2012-13 .- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 13 of the Central Sales tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), and all other powers enabling it in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005, namely:

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Sales Tax [(Delhi) (Amendment)] Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Amendment of rule 4.** - In the Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005, (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 4, after the Proviso and before the explanation, the following provisos shall be inserted, namely:-

"PROVIDED further that the Commissioner may require a dealer or class or classes of dealers or all dealers, registered under section 7 of the Act, as may be notified by him by special or general order, to file the reconciliation return electronically in the manner prescribed by him.

PROVIDED also that the dealers filing the reconciliation return electronically shall also file a hardcopy of such return along with the declaration(s) or certificate(s) unless exempted by the Commissioner."

3. **Amendment of rule 7.** - In the principal Rules, in rule 7, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

4. **Insertion of rule 8A.** - In the principal Rules, after rule 8, the following shall be inserted namely:-

"8A Notwithstanding anything contained to the contrary in these rules, the Commissioner may require a dealer or class or classes of dealers or all dealers, registered under section 7 of the Act, as may be notified by him by special or general order, to apply and obtain the declaration or certificate Forms prescribed under rule 12 of the Central Rules, electronically through the website of the Department of Trade and Taxes, Delhi, in the manner and subject to the conditions specified in the notification issued by him:

Provided that no fee shall be payable by the dealer/dealers for such Forms downloaded from the website."

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(S. K. Kamra)
Dy. Secretary-III (Finance)

No.F.3(3)/Fin(Rev-I)/2012-13 / DS III / 452

Dated : 15/6/12

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Programmer (EDP) for uploading the notification on the website of the department.
13. Guard File.

(S. K. Kamra)
Dy. Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0: 03(3)/वित्त (राज0-1)/2012-13/51225/452

दिनांक: 15/6/12

अधिसूचना

सं0फा0 03(3)/वित्त (राज0-1)/2012-13/ - केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1954 का अधिनियम सं0 74) की धारा 13 की उपधारा (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस आशय के लिए सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) नियमावली, 2005 में आगे संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-** (1) इन नियमों को केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन :-** केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) नियमावली, 2005 (जिसे इसके पश्चात् मुख्य नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में परन्तुक के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

“आगे उपबंध है कि आयुक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापारी या वर्ग या व्यापारियों के वर्ग या सभी व्यापारियों से विशेष या सामान्य आदेश से यथा अधिसूचित उसके द्वारा निर्धारित तरीके से इलैक्ट्रॉनिक्स रूप से सामंजस्य विवरण भरने के लिए कह सकता है:

यह भी उपबंध है कि इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामंजस्य विवरणी भरने वाला व्यापारी इस विवरणी की एक हार्ड कॉपी भी घोषणा (ओं) या प्रमाण पत्र (त्रों) के साथ भेजेगा यदि आयुक्त ने इसकी छूट प्रदान नहीं की है।”

3. **नियम 7 का संशोधन :-** मुख्य नियमावली के नियम 7 के उप-नियम(1) में परन्तुक को हटाया जायेगा।

4. **नियम 8क का सन्निवेशन:-** मुख्य नियमावली के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

“8क इस नियमावली में कुछ भी विपरीत होते हुए आयुक्त, किसी व्यापारी या वर्ग या व्यापारियों के वर्ग या धारा 7 के अधीन पंजीकृत सभी व्यापारियों को केन्द्रीय नियमावली के नियम 12 में निर्धारित घोषणा या प्रमाण पत्र फार्मों के लिये इलैक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली की वेबसाइट के

माध्यम से उसके द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से तथा शर्तों के अनुसार आवेदन करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कह सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. के. कामरा)

उप-सचिव-III (वित्त)

दिनांक: 15/6/12

सं0फा0 03(3)/वित्त (राज0-1)/2012-13/5745/452

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. नि0स0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. वेट अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
12. कार्यक्रम (ईडीपी) विभाग की वेबसाइट में अधिसूचना को अपलोड करने के लिये।
13. गार्ड फाईल।

(एस. के. कामरा)

उप-सचिव-III (वित्त)

(II)

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No.10(4)/Fin(Rev-1)/2012-13

Dated the _____ 2012

NOTIFICATION

No. 10(4)/Fin(Rev-1)/2012-13.- In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby, makes the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, as following, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Excise (Third Amendment) Rules, 2012.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette .

2. **Amendment of rule 152.** – In the Delhi Excise Rules 2010, in rule 152, in sub- rule (1), in clause (i) in the third column of the table for the figures and words “250 percent”, the figures and words “300 percent” shall be substituted.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(S.K.Kamra)
Deputy Secretary –III (Finance)

NO. 10(4)/Fin (Rev-1)/2012-13 /DS/III/453

Dated: 15/06/2012

Copy to:

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part IV in today's date.
2. The Commissioner of Excise, L&N Block, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Delhi Government, Delhi Sectt. Delhi.
4. The Joint Secretary (L&J), Govt. of NCT of Delhi , Delhi Sectt. Delhi.
5. PA to Hon'ble Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
6. Guard File
7. Website.

(S. K. KAMRA)
Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

चौथा तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0: 10(4)/वित्त (राज0-1)/2012-13/

दिनांक:

अधिसूचना

सं0फा0 10(4)/वित्त (राज0-1)/2012-13/

.- दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का

दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जायेगा।
- (2) ये दिल्ली सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. नियम 152 का संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152 में उपनियम (1) के खंड (i) में तालिका के तृतीय कॉलम में "250प्रतिशत" अंकों एवं शब्दों के स्थान पर "300प्रतिशत" अंकों एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 कामरा)

उप- सचिव -III(वित्त)

दिनांक 15/06/2012

सं फा 10(04)/वित्त (राज0-1)/2012-13/ 5/22-1-11/453

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन- ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
5. नि.स. माननीय नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. गार्ड फाईल।
7. वेबसाइट।

(एस0 के0 कामरा)

उप- सचिव -III(वित्त)

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F.3(6)/Fin.(Rev.-1)/2012-13/

Dated:

NOTIFICATION

No.F.3(6)/Fin.(Rev.-1)/2012-13/ .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012 (Delhi Act 10 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 18th June 2012, as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

No.F.3(6)/Fin.(Rev.-1)/2012-13/SSA/92

Dated : 16/6/12

Copy forwarded for information:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 11. VAT Officer (Policy), Department of Trade & Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi
12. Guard File.
13. Website.

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002
संख्या एफ.3(6)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13 दिनांक

अधिसूचना

संख्या एफ.3(6)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13 दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

(बी एल शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

संख्या एफ.3(6)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/एफ.3(6)/92
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित—

दिनांक 16/6/12

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. आयुक्त मूल्य संवर्द्धित कर, व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट नई दिल्ली।
7. निजी सहायक, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, मूल्य संवर्द्धित कर अपीलीय प्राधिकरण, व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्द्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्द्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाइल।
13. वेबसाइट।

(बी एल शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(6)/LA-2012 / cons2 law/61

Dated 15th June, 2012

NOTIFICATION

No.F.14(6)/LA-2012 / cons2 law/61 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 15th June, 2012 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2012
(DELHI ACT 06 OF 2010)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 6th June, 2012)

[15th June, 2012]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.
BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

PROVIDED that, different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. **Amendment of section 2.**- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in section 2, in sub-section (1), in clause (zd), the provisos occurring after clause (vii) and before the Explanation shall be omitted.

3. **Amendment of section 9.**- In the principal Act, in section 9:-

(i) in sub-section (3), for the word and figures "(4) and (6)", the word and figures "(4), (6) and (10)" shall be substituted;

(ii) after sub-section (9), the following shall be inserted, namely:-

"(10) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-section (1), where -

- (a) a dealer has purchased goods (other than capital goods) for which a tax credit arises under sub-section (1) of this section; and,
- (b) the goods or goods manufactured out of such goods are to be exported from Delhi by way of sale made under sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956,

the amount of the tax credit shall be reduced by the prescribed percentage."



4. Amendment of section 10.- In the principal Act, in section 10, in sub-section (3), for clause (c) the following shall be substituted, namely:-

"(c) the goods are exported from Delhi, -

(i) by way of a sale made as per the provisions of sub-section (1) of section 8 of the Central Sales tax Act, 1956; or

(ii) other than by way of a sale, to a branch of the registered dealer or to a consignment agent;"

5. Amendment of section 28.- In the principal Act, for section 28 the following shall be substituted, namely:-

"28. If a person discovers a discrepancy in a return furnished by him for a tax period under this Act, he shall remove such discrepancy and furnish a revised return within the year following the year of such tax period:

PROVIDED that if, as a result of the discrepancy, the person has paid less tax than was due under this Act, he shall, pay the tax owed and interest thereon:

PROVIDED FURTHER that for the years 2008-09, 2009-10 and 2010-11, except for those returns pertaining to any tax period of 2010-11, which were scheduled to be furnished in the year 2011-12, the revised return shall be required to be furnished by 31st December, 2012."

6. Amendment of section 36A.- In the principal Act, in section 36A, in sub-section (11), after the words "within the prescribed period" the words ", and in the manner as may be notified by the Commissioner" shall be inserted.

7. Amendment of section 38.- In the principal Act, in section 38, in sub-section (7), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c) furnish returns under section 26 and section 27; or

(d) furnish the declaration or certificate forms as required under Central Sales Tax Act, 1956,"

8. Amendment of section 49.- In the principal Act, for section 49 the following shall be substituted, namely,-

"49. If, in respect of any particular year, the gross turnover of a dealer exceeds sixty lakh rupees or such other amount as may be prescribed, then, such dealer shall submit a report in such manner, form and period as may be notified by the Commissioner."

114K
9. Amendment of section 50.- In the principal Act, in section 50,-

(i) in sub-section (2), in clause (d), after the Proviso, the following proviso shall be added namely:-

"PROVIDED FURTHER that such numerical series may be granted by the Commissioner, in such manner and from such date as may be notified by him;"

(ii) in sub-section (5),-

(a) in clause (d), the following provisos shall be added, namely:-

"PROVIDED that a dealer may maintain separate numerical series, with distinct codes, either as prefix or suffix, for each place of business, in case the dealer has more than one place of business in Delhi or for each product in case he deals in more than one product or both;

PROVIDED FURTHER that such numerical series may be granted by the Commissioner, in such manner and from such date as may be notified by him;"

(b) in clause (e), for the words "services provided, inclusive of amount of tax charged thereon", the words "services provided and the amount of tax charged thereon related separately" shall be substituted.

10. Amendment of section 66.- In the principal Act, in section 66, in sub-section (a) in clause (a), for the word "Additional", the word "Special" shall be substituted.

11. Amendment of section 70.- In the principal Act, in section 70,

(i) in sub-section (2), for the words "using the form", the words "using the form, in such manner as may be notified by him" shall be substituted;

(ii) in sub-section (5), for the words "five hundred", the words "ten thousand" shall be substituted.

12. Amendment of section 73.- In the principal Act, in section 73, after sub-section (8), the following shall be inserted, namely:-

"(9) Notwithstanding anything contained to the contrary in this section, the Government may, by a notification in the official Gazette, constitute benches comprising one or more members, subject to such conditions and regulations as may be laid down in the notification."

Amendment of section 82.- In the principal Act, in section 82.-
in sub-section (1), in clause (b), after the words "cost accountant" the words "or company secretary" shall be inserted;

(ii) in sub-section (2),-

(a) in the main clause, for the words "chartered accountant", the words "chartered accountant, cost accountant, company secretary" shall be substituted; and

(b) in clause (b), after the words "cost accountant", the words "or company secretary" shall be inserted.

14. Amendment of section 86.- In the principal Act, in section 86,-



(i) for sub-section (18) the following shall be substitute, namely:-

"(18) If, any dealer fails to comply with the provisions of section 49 of this Act, the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of ten thousand rupees.";

(ii) in sub-section (19), for the words "the amount of tax payable on such goods", the words "forty paise in a rupee for the value of such goods" shall be substituted.

Tarun Sahrawat
15/06/12

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वीं तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली - 110002

सं० फा० 14(6)/एलए-2012/ConsLaw/61

दिनांक 15 जून, 2012

अधिसूचना

सं० फा० 14(6)/एलए-2012/ConsLaw/61 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 15 जून, 2012 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

**“दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012
(2012 का दिल्ली अधिनियम 08)**

(6 जून, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[15 जून, 2012]

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरैसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :- (1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
- (2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
- (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।

शर्त यह है कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी।

2. धारा 2 का संशोधन :- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य घ) में खंड (vii) के बाद और व्याख्या से पूर्व आए उपबंध हटाए जाएंगे।
3. धारा 9 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 9 में,--
 - (i) उपधारा (3) में आए शब्द तथा अंक “(4) तथा (6)” के स्थान पर शब्द तथा अंक “(4), (6) तथा (10)” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (ii) उपधारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

“(10) उपधारा (1) में कुछ भी प्रतिकूल रहते हुए, जहां--

(क) किसी व्यापारी ने वस्तुएं (पूंजीगत वस्तुओं के अतिरिक्त) खरीदी हैं जिसके लिए इस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर क्रेडिट उत्पन्न होता है; तथा

mk

(ख) ऐसी वस्तुओं में से वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बिक्री करके दिल्ली से निर्यात की जानी है,

कर क्रेडिट की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम की जाएगी।

4. धारा 10 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(ग) दिल्ली से निर्यात की गई वस्तुएं :-

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार की गई बिक्री से; अथवा

(ii) पंजीकृत डीलर की किसी शाखा को या खेप एजेंट को की गई बिक्री से भिन्न;”

5. धारा 28 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“28 यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में कोई त्रुटि निकालता है, तो वह ऐसी त्रुटि को दूर करेगा और ऐसी कर अवधि के वर्ष के अगले वर्ष के भीतर संशोधित विवरणी प्रस्तुत करेगा।

शर्त यह है कि यदि त्रुटि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से कम कर भुगतान किया है तो वह शेष देय कर तथा उस पर ब्याज का भुगतान करेगा:

आगे यह भी शर्त है कि 2010-2011 की किसी कर अवधि से संबंधित विवरणियों को छोड़कर, जो वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचीबद्ध थी, वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिये संशोधित विवरणी 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी।”

6. धारा 38क का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 38क की उपधारा 11 में शब्द “निर्धारित अवधि के भीतर” के पश्चात् और शब्द “आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से” सन्निविष्ट किए जाएंगे।

7. धारा 38 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (7) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) धारा 26 और धारा 27 के अन्तर्गत विवरणियां प्रस्तुत करना; अथवा

“(घ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यथापेक्षित घोषणा पत्र या प्रमाण प्रपत्र प्रस्तुत करना,”।

8. धारा 49 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"49 यदि किसी विशेष वर्ष के संबंध में, किसी डीलर की सकल बिक्री साठ लाख रुपये या ऐसी यथानिर्धारित अन्य राशि से बढ़ जाती है, तो ऐसा डीलर आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति, परिपत्र तथा अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा,"

9. धारा 50 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 50 में—

- (i) उपधारा (2) के खंड (घ) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"आगे शर्त यह है कि ऐसी संख्यात्मक श्रृंखला, आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से और ऐसी तिथि से उसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी।"

- (ii) उपधारा (5) में,—

- (क) खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

"शर्त यह है कि कोई डीलर अलग संख्यात्मक श्रृंखला, दिल्ली में एक कार्य स्थल से अधिक कार्य स्थल की स्थिति में या प्रत्येक उत्पाद के लिये यदि एक उत्पाद से अधिक उत्पादों का व्यापार करता है या दोनों की स्थिति में भिन्न-भिन्न कूटांक सहित या तो पहले या बाद में लगाकर बना सकता है।

आगे शर्त यह है कि ऐसी संख्यात्मक श्रृंखला, आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से और ऐसी तिथि से उसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी।"

- (ख) खंड (ड) में शब्द "प्रदान की गई सेवाएं, उस पर वसूल किए गए कर की राशि सहित" के स्थान पर शब्द "प्रदान की गई सेवाएं तथा उस पर वसूल किए गए कर की राशि का अलग से उल्लेख किया जाए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. धारा 66 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) में आए शब्द "अतिरिक्त" के स्थान पर शब्द "विशेष" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 70 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

- (i) धारा (2) में आए शब्द "प्रपत्र का प्रयोग" के स्थान पर "उसके द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी पद्धति में प्रपत्र का प्रयोग" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) उपधारा (5) में आए शब्द "पाँच सौ" के स्थान पर शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. धारा 73 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 73 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(9) इस धारा के प्रतिकूल कुछ भी रहते हुए सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों तथा विनियमों के अधीन एक या अधिक सदस्यों को मिलाकर पीठ गठित कर सकती है,"

13. धारा 82 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 82 में,-

(i) धारा (1) के खंड (ख) में आए शब्दों "लागत लेखाकार" के पश्चात् शब्द "अथवा कंपनी सचिव" सन्निविष्ट किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,-

(क) मुख्य खंड में आए शब्द "सनदी लेखाकार" के स्थान पर शब्द "सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव" प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) खंड (ख) में शब्द "सनदी लेखाकार" के पश्चात् शब्द "अथवा कंपनी सचिव" सन्निविष्ट किए जाएंगे।

14. धारा 88 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 88 में,

(i) उपधारा (18) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी:-

"(18) यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुपालन में विफल रहता है तो डीलर को दस हजार रुपये की राशि अर्धदंड के रूप में भुगतान करनी होगी,"।

(ii) उपधारा (19) में आए शब्द "ऐसी वस्तुओं पर देय कर की राशि" के स्थान पर शब्द "ऐसी वस्तुओं के मूल्य के एक रुपए में चालीस पैसा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

15/6/14
(तरून सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(4)/LA-2012/Consd/71

Dated 15th the June, 2012

NOTIFICATION

No.F.14(4)/LA-2012/Consd/71. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 15th June, 2012 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2012
(DELHI ACT 07 OF 2010)"**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 6th June, 2012) [15th June, 2012]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004 .

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 2.**- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in section 2, in sub-section (1), in clause (zd), after sub-clause (vii), before the Explanation occurring at the end thereof, the following provisos shall be inserted, namely;

"PROVIDED that an amount equal to the increase in the price of petrol (including the duties and levies charged thereon by the Central Government) taking effect from the 3rd June, 2012 shall not form part of the sale price of petrol sold on or after the date of the commencement of the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012 till such date as the Government may, by notification in the official Gazette, direct or if the price of petrol falls below the sale price prior to 3rd June, 2012, whichever is earlier :

PROVIDED further that if the price of petrol further increases from the level of price as on 3rd June, 2012, the aforesaid proviso shall not have any effect on such further increase:

PROVIDED also that if the price of petrol declines but remains above the price prevailing prior to 3rd June, 2012, the aforesaid proviso shall have effect to the extent of the remaining increase:

PROVIDED also that the aforesaid proviso shall not take effect till the benefit is passed on to the consumers."



Tarun Sahrawat
15.6.12

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली - 110002

दिनांक 15 जून, 2012

2012/Consolidation/71

अधिसूचना

10 फा 14/2012/2012/Consolidation/71 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राज्यपाल की सहमति दिनांक 15 जून, 2012 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012
(2012 का दिल्ली अधिनियम 07)

2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[15 जून, 2012]

मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(2) यह उस तारीख से लागू होगा जैसा सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन :- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके बाद "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य घ) में उपखंड (vii) के पश्चात्, इसके अन्त में आई व्याख्या से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"शर्त यह है कि 3 जून, 2012 से प्रभावी होने वाले पेट्रोल के मूल्य (केन्द्र सरकार द्वारा उस पर वसूले कर एवं जैसी राशित) में वृद्धि के बराबर राशि, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ होने की तिथि को या बाद की ऐसी तिथि तक, जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश देती है या यदि पेट्रोल का मूल्य 3 जून, 2012 से पहले के विक्रय मूल्य से कम हो जाता है, जो भी पहले हो, बेचे गए पेट्रोल के विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगा।

आगे शर्त यह है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 3 जून, 2012 को प्रचलित मूल्य से अधिक पुनः बढ़ता है तो पूर्वोक्त परन्तुक पर इस प्रकार की आगामी वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आगे यह भी शर्त है कि यदि पेट्रोल के मूल्य में गिरावट आती है लेकिन 3 जून, 2012 से पूर्व प्रचलित मूल्य से अधिक रहता है, तो पूर्वोक्त परन्तुक का शेष बकोतरी की सीमा तक प्रभाव पड़ेगा।

शर्त यह भी है कि उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचने तक पूर्वोक्त परन्तुक का प्रभाव नहीं होगा।"

तकन सहरावत

(तकन सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F.3(7)/Fin.(Rev.-1)/2012-13/

Dated:

NOTIFICATION

No.F.3(7)/Fin.(Rev.-1)/2012-13/ .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012 (Delhi Act 11 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 18th June, 2012, as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

No.F.3(7)/Fin.(Rev.-1)/2012-13/554/83

Dated : 16/6/12

Copy forwarded for information:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 11. VAT Officer (Policy), Department of Trade & Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi
12. Guard File.
13. Website.

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002
संख्या एफ.3(7)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13 दिनांक

अधिसूचना


संख्या एफ.3(7)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13 दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

(बी एल शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

संख्या एफ.3(7)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/प्रसाधन/83
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. आयुक्त मूल्य संवर्द्धित कर, व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट नई दिल्ली।
7. निजी सहायक, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, मूल्य संवर्द्धित कर अपीलीय प्राधिकरण, व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्द्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्द्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाइल।
13. वेबसाइट।


(बी एल शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.3(4)/Fin.(Rev-I)/2012-13/MSIT/461-462

Dated : the 21.6, 2012

NOTIFICATION

Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely :-

AMENDMENTS

1. In the First Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), (hereinafter referred to as the "principal Act"), -

(a) for the entry at Sl. No. 31, the following shall be substituted, namely: -

"31. Slate and slate pencils, geometry boxes, colour boxes, crayons and pencil sharpeners";

(b) in the entry at Sl. No. 69, for the words and figures "Rs. 300/- per pair", the words and figures "Rs. 500/- per pair" shall be substituted;

(c) for the entry at Sl. No. 70, the following entry shall be substituted, namely: -

"70. Hawan samagri, Roli, Sacred Thread, Kirpan, Prasadum by religious institutions and Misri, Patasha as part of Prasad.";

(d) for the entry at Sl. No. 72, the following shall be substituted, namely:-

"72. Blood filters and blood bags."; and

(e) after the entry at Sl. No.81, the following entries shall be inserted, namely:-

"82. Tricycles.

83. Kites.

84. Juna.

85. Mahawar, Hairpins, Hairbands, Hairclips, Safety Pins and Saree falls.".

2. In the Third Schedule appended to the principal Act, -

(a) from the entry at Sl. No.12, the word "tricycles," shall be omitted;

(b) the sub-entry (7) in the entry at Sl. No. 41A shall be omitted;

(c) from the entry at Sl. No.76, the words "geometry boxes, colour boxes, crayons and pencil sharpeners" shall be omitted;

(u) from the entry at Sl. No.81, the word "roli," shall be omitted;

(e) from the entry at Sl. No.98, the words "and plastics" shall be omitted; and

(f) the entries at Sl. Nos. 126, 131, 132, 133 and 163 shall be omitted.

3. In the Fourth Schedule appended to the principal Act, for the entry at Sl. No.10, the following shall be substituted, namely: -

"10. Tobacco and Gutkha, unmanufactured tobacco, bidis and tobacco used in the manufacture of bidis and hooka tobacco."

This notification shall come into force with effect from 21st June, 2012.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(B. L. SHARMA)
SPECIAL SECRETARY (FINANCE)

No.3(4)/Fin.(Rev-I)/2012-13/1117/461-462
Copy forwarded for information:-

Dated : 21.6.2012

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (Extra Ordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
6. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt., Delhi.
7. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website.

(B. L. SHARMA)
SPECIAL SECRETARY (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0 3(4)/वित्त (राज-1)/2012-13/512221/461-462

दिनांक: 21.6.2012

अधिसूचना

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3), इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में, :-

(क) प्रविष्टि क्रमांक 31 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"31. स्लेट और स्लेट पेंसिल, जिओमेट्रि बॉक्सज, कलर बॉक्सज, क्रेऑन्स और पेंसिल शार्पनर्स";

(ख) प्रविष्टि क्रमांक 69 में, "रुपये 300/- प्रति जोड़ी" शब्दों और अंको के स्थान पर "रुपये 500/- प्रति जोड़ी" शब्दों और अंको - को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि क्रमांक 70 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"70. हवन सामग्री, रोली, पवित्र धागा, कृपाण, धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रसादम और प्रसाद के हिस्से के रूप में मिट्टी, पताशा";

(घ) प्रविष्टि क्रमांक 72 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"72. ब्लड फिल्टर्स और ब्लड बैग्स"; और

(ङ) प्रविष्टि क्रमांक 81 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां सन्निविष्ट की जाएंगी, अर्थात् :-

"82. ट्राइसाइकल्स

83. पतंग

84. जूना

85. महावर, हेयरपिन्स, हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स, सेपिट पिन्स और साड़ी फाल्स।"

2. मूल अधिनियम के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में :-

(क) प्रविष्टि संख्या 12 से "ट्राइसाइकल्स" शब्द हटाया जाएगा;

(ख) प्रविष्टि संख्या 41ए में से उप-प्रविष्टि (7) हटाई जाएगी;

(ग) प्रविष्टि संख्या 76 में से शब्दों - "जिओमेट्रि बॉक्सज, कलर बॉक्सज, क्रेऑन्स और पेंसिल शार्पनर्स" को हटाया जाएगा;

(घ) प्रविष्टि संख्या 81 में से "रोली" शब्द को हटाया जाएगा;

(ङ) प्रविष्टि संख्या 98 में से शब्दों- "और प्लास्टिक्स" को हटाया जाएगा; और

(च) प्रविष्टि संख्या 126, 131, 132, 133 और 163 को हटाया जाएगा।

3. मूल अधिनियम के साथ संलग्न चौथी अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10. तम्बाकू और गुटका, गैर-विनिर्मित तम्बाकू, बीड़ी और बीड़ी के विनिर्माण में काम आने वाला तम्बाकू तथा हुक्का तम्बाकू।”

यह अधिसूचना 21 जून, 2012 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(बी० एल० शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

सं०फा० 3(4)/वित्त (राज-1)/2012-13/511/461-462

दिनांक: 21-6-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. नि०स०, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
7. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल।
13. वेबसाइट।

(बी० एल० शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, LEVEL-IV, WING-A,
I.P. ESTATE, NEW DELHI- 110 002.

No. F. 10(9)/Fin. (Rev-I)2011-12/

Dated: the _____ 2012

NOTIFICATION

No. . F. 10(9)/Fin. (Rev-I)2011-12/- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act,2011 (Delhi Act 07 of 2011), the Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Deputy Commissioner (Taxes), Excise Department of Govt. of NCT of Delhi as Appellate Officer for the purpose of performing the functions as specified under the aforesaid Act w.e.f the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. . F. 10(9)/Fin. (Rev-I)2011-12/- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of section 9 of the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act,2011 (Delhi Act 07 of 2011), the Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Assistant Commissioner (Co-ord), Excise Department of Govt. of NCT of Delhi, as Competent Officer and Drawing & Disbursing Officer for the purpose of performing the functions as specified under the aforesaid Act w.e.f the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi.

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary III(Finance)

No.F. 10(9)/Fin. (Rev-I)2011-12/- *DSM/490*

Dated: *2/7/12*

Copy to:

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part IV in today's date.
2. The Commissioner of Excise, L&N Block, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Delhi Government, Delhi Sectt. Delhi.
4. The Joint Secretary (L&J), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt. Delhi.
5. PA to Hon'ble Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
6. Guard File
7. Website.

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary -III(Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, चौथा तल, ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं फा 10(09) वित्त (राजस्व-1)/2011-12/

दिनांक

अधिसूचना

सं फा 10(09) वित्त (राजस्व-1)/2011-12/ -दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं के प्रदानार्थ)
अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उपायुक्त (कर), आबकारी विभाग, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से लेकर पद पर बने रहने तक
की अवधि तक पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिये
अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं फा 10(09) वित्त (राजस्व-1)/2011-12/ -दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं के प्रदानार्थ)
अधिनियम, 2011 की धारा 9 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सहायक आयुक्त (समन्वय), आबकारी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार को उक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से लेकर पद पर बने रहने तक की अवधि
तक पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिये सक्षम
अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप- सचिव -III (वित्त)
दिनांक 2/7/12

सं फा 10(09) वित्त (राजस्व-1)/2011-12/5/22/11/190
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग 4 में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन-ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. नि.स. माननीय नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. गार्ड फाईल।
7. वेबसाइट।

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप- सचिव -III (वित्त)

2

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV-EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REV-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.10(1)/Fin(Rev-I)/12-13/7311/498

Dated: The 4/7/2012

NOTIFICATION

No. F.10(1)/Fin(Rev-I)/12-13 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010 as following, namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (1) These rules may be called the Delhi Excise (Fourth Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule-2:- In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 2 for clause (14) the following shall be substituted, namely :-

"(14) economy Indian liquor' means low cost liquor which includes Delhi Economy Liquor(75 degrees) and Delhi Medium Liquor(60 degrees) as declared by the Excise Commissioner"

3. Amendment of rule-32 - In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 32, in sub-rule (1) for the entries of L-8 and L-14 against serial numbers 13 and 21, the following entries shall be substituted, namely :-

S.No.	Form	Details of Licences	Authority empowered to grant	Authority empowered to renew
"13	L-8	Retail vend of Country Liquor and Delhi Medium Liquor(60 degrees) in public sector	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
21	L-14	Retail vend of Delhi Economy Liquor (75 degrees) and beer to holder of licence in Form L-8	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner

4. Amendment of rule 55 :- In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 55, in sub-rule (9) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

“(b) A licensee for the sale of Indian Liquor and Foreign Liquor of the strength less than 25 degrees under proof in the case of brandy, whisky or rum or of a liquor intended to pass as, whisky, brandy or rum or of a strength less than 35 degrees under proof in the case of gin, vodka or of liquor intended to pass as gin or vodka:

Provided that the minimum strength of 25 degrees or 35 degrees under proof shall not be enforced in case of liqueur, wine, beer, cider and alcopop:

Provided further that the minimum strength of 25 degrees or 35 degrees under proof shall not be enforced in case of Delhi Medium Liquor whose strength will be decided by the Govt. from time to time,;”

5. Amendment of rule 152:- In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 152, after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely :-

“(5) The duty to be levied on Delhi Medium Liquor (60 Degrees) shall be 190 per cent of the WSP.”

6. Amendment of rule 154 : In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 154, in sub-rule (2) for the entries against serial number 10 and 16 relating to forms of Licenses L-8 and L-14, the following entries shall be respectively substituted namely :-

S.No.	Reference of rule	Forms of Licence	Description of Licences	Annual Licence fee (in Rs.)
"10	32(1)	L-8	Retail vend of Country Liquor and Delhi Medium Liquor(60 degrees) in public sector	2,00,000/-
16	32(1)	L-14	Retail vend of Delhi Economy Liquor (75 degrees) and beer to holder of licence in Form L-8	2,00,000/-

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(S.K. KAMRA)
Deputy Secretary III (Finance)

No.F. 10(1)/Fin(Rev-I)/12-13/12311/498

Dated: 4/7/2012

Copy to:-

1. The Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part-IV(extraordinary) in today's date.
2. The Excise Commissioner, GNCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. OSD to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
4. Secretary to Finance Minister, Govt. NCT of Delhi.
5. The Joint Secretary (L&J), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web site.
7. Guard file

(S.K. KAMRA)
Deputy Secretary III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व -I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110002

सं. एफ.10(1)/वित्त(राजस्व-I)12-13/512/498

दिनांक 14/7/2012

अधिसूचना

सं. एफ.10(1)/वित्त(राजस्व-I)12-13:- दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

- (1) ये नियम दिल्ली आबकारी (चौथा संशोधन) नियमावली, 2012 कहे जायेंगे ।
(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. नियम 2 का संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 2 में खंड (14) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(14) सस्ती भारतीय शराब का अर्थ है कम मूल्य की शराब जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा घोषित दिल्ली सस्ती शराब (75 डिग्री) तथा दिल्ली मध्यम शराब (60 डिग्री) शामिल है”

3. नियम 32 में संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 32 के उपनियम (1) में प्रविष्टि एल-8 तथा एल-14 के सामने क्रम सं० 13 तथा 21 पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्रम सं०	फार्म	लाइसेंसों का विवरण	अधिकृत प्राधिकारी	नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी
“13	एल-8	देशी शराब तथा दिल्ली मध्यम शराब (60 डिग्री) की सार्वजनिक क्षेत्र में खुदरा बिक्री	उपायुक्त	उपायुक्त
21	एल-14	दिल्ली सस्ती शराब (75 डिग्री) तथा बीयर की फार्म एल-8 में लाइसेंसधारकों द्वारा खुदरा बिक्री	उपायुक्त	उपायुक्त”

4. नियम 55 में संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 55 के उपनियम (9) में खंड (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) 25 डिग्री से कम शुद्धता वाली ब्रांडी, व्हिस्की या रम या ऐसा कहकर बेची जा रही शराब के लिए और 35 डिग्री से कम मापदण्ड वाली जिन, वोदका या शराब या ऐसा कह कर बेची जाने वाली जिन या वोदका इत्यादि भारतीय अथवा विदेशी शराब का कोई लाइसेंसधारक।

शर्त यह है कि अंडर प्रूफ 25 डिग्री या 35 डिग्री की न्यूनतम स्ट्रेंथ शराब, वाइन, बीयर, साइडर तथा अल्कोपोप की स्थिति में लागू नहीं होगी।

आगे यह भी शर्त है कि अंडर प्रूफ 25 डिग्री या 35 डिग्री की न्यूनतम स्ट्रेंथ दिल्ली मध्यम शराब की स्थिति में लागू नहीं होगी जिसकी स्ट्रेंथ समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णित की जाएगी।”

5. नियम 152 में संशोधन:- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152 में उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

“(5) दिल्ली मध्यम शराब (60 डिग्री) पर वसूली जाने वाली ड्यूटी डब्ल्यू एस पी का 190 प्रतिशत होगी।”

6. नियम 154 में संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 154 के उपनियम (2) में क्रम सं. 10 तथा 16 पर लाइसेंस एल-8 तथा एल-14 संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्रम सं०	नियम संदर्भ	लाइसेंस फार्म	लाइसेंसधारी का विवरण	वार्षिक लाइसेंस (रूपये में)
“10	32(1)	एल-8	देशी शराब तथा दिल्ली मध्यम शराब (60 डिग्री) की सार्वजनिक क्षेत्र में खुदरा बिक्री	2,00,000/-
21	एल-14	एल-14	दिल्ली सस्ती शराब (75 डिग्री) तथा बीयर के फार्म एल-8 में लाइसेंसधारकों द्वारा खुदरा बिक्री	2,00,000/-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(एस. के. कामरा)
उप सचिव - III (वित्त)

एफ.10(1)/वित्त(राजस्व-I)12-13/डीएस/498

दिनांक 4/7/2012

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :

1. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र-
भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ एक प्रति।
2. आबकारी आयुक्त, दिल्ली सरकार, एल-ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी को।
4. वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार के सचिव को सूचनार्थ।
5. संयुक्त सचिव (विधि एवं न्याय) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वेब साइट।
7. गार्ड फाईल।

(एस. के. कामरा)
उप सचिव - III (वित्त)

3
(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV-EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REV-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.10(5)/Fin(rev-1)/12-13 /DS/II/499

Dated : the 04/7/ 2012

NOTIFICATION

No. F.10(5)/Fin(rev-1)/12-13.- In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act,2009(Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules,2010 namely:-

1. **Short Title and Commencement.** – (1). These rules may be called the Delhi Excise (Fifth Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 11 .-** In the Delhi Excise Rules, 2010 (herein after referred to as The principal Rules), in rule 11, a new sub-rule (c) shall be inserted, namely :-

“(c) The members of the diplomatic missions in India, staying in Delhi and the Hospitality Organization, Ministry of External Affairs, Government of India for transport or possession of Indian or Foreign liquor on the basis of transport permit for the purpose of their own consumption or for Government function without paying any Excise duty.”

3. **Amendment of rule 20.-** In the principal Rules, in rule 20, a new sub rule (d) shall be inserted, namely ;

“(d)(1) P-10A Permit may be issued by the Deputy Commissioner (Excise) for service of Indian and/or Foreign liquor at a place other than licensed premises in:-

(i) commercial ticketed event/function or a series of such events/functions during the entire period of 24th December to 31st December.

(ii) other commercial ticketed events/functions during the rest of the year.

(d)(2) The holder of such permit shall be allowed to purchase, possess, transport and serve liquor at a place specified in the permit, subject to the following conditions:-

(i) the area is screened off from public view;

(ii) liquor is served only to persons above twenty five years in age;

(iii) liquor is procured from licensed source in Delhi and shall produce purchase voucher on demand :

Provided that the Deputy Commissioner may delegate his power under this clause to any excise officer.”

4. **Amendment of rule 20.-** In the principal Rules, in rule 20 in sub-rule(1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely :-

“Provided further that the possession limit may be relaxed for Bishop of Delhi for bonafide church use for sacramental purpose only with the approval of Government.”

5. **Amendment of rule 33.-** In the principal Rules, in rule 33, in the table “Classes of permits and authorities to grant and renew permit”, after sr. no. 10, the following row shall be inserted, namely :-

“

10 A	P-10A	Permit for service of Indian Liquor and / or Foreign Liquor at a place other than Licensed premises in – (i) commercial ticketed event/function or a series of such events/functions during the entire period of 24 th December to 31 st December for time upto 1.00 AM only. (ii) other commercial ticketed events/functions during the rest of the year for time upto 1.00 AM only.	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
------	-------	---	---------------------	---------------------

“

6. **Amendment of rule 41.-** In the principal Rules, for rule 41, the following shall be substituted, namely :-

“41. All applications for the renewal of licence and permit to be received by February end along with licence fee -

Unless the Government otherwise directs all applications for the renewal of licences and permits shall be received in the office of the Deputy Commissioner before the end of February along with licence or permit fee, payable for the renewal of licence or permit. In case of delay, the Deputy Commissioner may admit such application before the expiry of the licence or permit, provided that there are good and sufficient reasons for the delay on payment of additional fee of twenty five percent of the prescribed licence or permit fee:

Provided that the application for renewal of licence or permit may be admitted after the expiry of the licence or permit, if there are good and sufficient reasons for the delay on payment of double the amount of licence or permit fee payable, and the licence or permit may be renewed with the approval of the Excise Commissioner."

7. Amendment of rule 44.- In the principal Rules, in rule 44-

(i) for sub-rule (7), the following shall be substituted, namely :-

" (7) In no case service of liquor other than from holder of licenses in form L-16, L-17, L-28, L-29 shall be allowed, except in the functions organized by the Hospitality Organization, Ministry of External Affairs, Government of India and Diplomatic missions on the recommendation of Ministry of External Affairs, Government of India."

(ii) sub-rule (8) shall be omitted

8. Amendment of rule 154: In the principal Rules, in rule 154 -

(i) in sub rule (2), in the table "Licence fees for other category of licences", in sl. no. 12, for the entries in column no. 5 the following shall be substituted, namely:-

"8,00,000

Note: Fee for round the clock operation for the L-10 vend at Airport shall be twice the amount of fee applicable for L- 10 licence."

(ii) In sub rule (2), in the table "Licence fees for other category of licences", in sr. no. 19, in column no. 5, for the words and figures "Fee for service of liquor for round-the-clock in a restaurant attached to hotel of 5 Star and above category shall be twice the amount of fee applicable L-16 licence", the following words and figures shall be substituted, namely :-

" (a) Fee for service of liquor for round the clock in:

- (i) Five Star - Rs.30,00,000/-
- (ii) Five Star Deluxe and above - Rs.40,00,000/-"

(iii) In sub-rule (2), in the table "Licence fees for other category of licences", in sr. no. 43, in column no. 5, for the entries, the following shall be substituted, namely :-

"10000 (more than 1 year and upto 3 years)*

Or

20000 (more than 3 years and upto 5 years)*

*The person should submit an affidavit confirming his stay at the declared residential address for the duration of the licence applied for."

(iv) In sub-rule (4), in the table "Other fees (permit/pass/import/export) ", after sl no. 10, the following row shall be inserted, namely :-

10A	20(1) (d)	P-10A	Permit for service of Indian Liquor and / or Foreign Liquor at a place other than Licensed premises in- (i) commercial ticketed event/function or a series of such events/functions during the entire period of 24 th December to 31 st December for time upto 1.00 AM only. (ii) other commercial ticketed events/functions during the rest of the year for time upto 1.00 AM only.	(i) Rs.200000/- for commercial ticketed events/functions during the entire period from 24 to 31 st December. (ii) Rs.100000/ per day on other commercial ticketed events/functions.
-----	--------------	-------	--	---

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,


(S. K. Kamra)
Deputy Secretary - III (Finance)

No. F.10(5)/Fin(rev-1)/12-13/DS III/499

Dated: 04/7/12

Copy to:-

1. The Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part-IV(extraordinary) in today's date.
2. The Excise Commissioner, GNCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. OSD to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
4. Secretary to Finance Minister, Govt. NCT of Delhi.
5. The Joint Secretary(L&J), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 6. Guard File
7. Web site.


(S. K. Kamra)
Deputy Secretary – III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 10(5)/वित्त (राजस्व-1)/12-13/5424/498 दिनांक: 03/7/2012

अधिसूचना

सं0फा0 10(5)/वित्त (राजस्व-1)/12-13/ - दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इसके द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (पाँचवा संशोधन), नियमावली, 2012 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 11 का संशोधन :- दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 (इसमें इसके बाद मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 11 के उपनियम (ग) को सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात्:-

“ (ग) दिल्ली में रह रहे भारत में राजनयिक मिशनों तथा आतिथ्य संगठन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्यों को किसी प्रकार के आबकारी शुल्क का भुगतान किए बिना अपने निजी उपभोग के प्रयोजन के लिये या सरकारी समारोह के लिये परिवहन परमिट के आधार पर देशी या विदेशी शराब की ढुलाई परिवहन या स्वामित्व के लिये”

3. नियम 20 का संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 20 में एक नया उपनियम (घ) सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात् -

“ (घ)(1) पी-10ए परमिट लाइसेंसशुदा परिसर से भिन्न किसी स्थान पर देशी तथा /अथवा विदेशी शराब परोसने के लिये उपायुक्त (आबकारी) द्वारा जारी किया जा सकेगा :-

(i) 24 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक की सम्पूर्ण अवधि के दौरान वाणिज्यिक टिकट वाले समारोह/आयोजन या ऐसे समारोहों/आयोजनों की श्रृंखला में ।

(ii) वर्ष की शेष अवधि के दौरान अन्य वाणिज्यिक टिकट वाले समारोह/आयोजन ।

(घ) (2) ऐसे परमिटधारी को किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर शराब खरीदने, रखने, ढुलाई करने तथा परोसने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) क्षेत्र जनता की नजर से हटकर हो;

(ii) केवल पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को शराब परोसी जाती है;

(iii) दिल्ली में लाइसेंसशुदा से शराब प्राप्त की गई है और मांगने पर खरीद वाउचर प्रस्तुत किया जाएगा :

— शर्त यह है कि उपायुक्त इस खण्ड के अन्तर्गत अपनी शक्तियां किसी आबकारी अधिकारी को सौंप सकता है”

4. नियम 20 का संशोधन.— मूल नियमावली के नियम 20 के उपनियम (1) के उपरांत निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात्—

“आगे शर्त यह है कि स्वामित्व सीमा केवल सरकार के अनुमोदन से सांस्कारिक प्रयोजन हेतु चर्च में वास्तविक प्रयोग के लिये दिल्ली के बिशप के लिये शिथिल की जा सकेगी।”

5. नियम 33 का संशोधन.— मूल नियमावली के नियम 33 की तालिका में, “परमिट की श्रेणियां तथा परमिट प्रदान तथा नवीनीकरण वाले प्राधिकरण” कम सं० 10 के उपरांत निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जाएगी अर्थात् ;

10 क	पी -10 ए	लाइसेंसशुदा परिसर से भिन्न किसी स्थान पर देशी तथा/अथवा विदेशी शराब परोसने का परमिट —	उपायुक्त	उपायुक्त
		(i) 24 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच केवल पूर्वाहन		

		1.00 बजे तक सम्पूर्ण अवधि के दौरान ।		
		(ii) वर्ष की शेष अवधि के दौरान केवल पूर्वाह्न 1.00 बजे तक अन्य वाणिज्यिक टिकट वाले समारोहों / आयोजनों में ।		

6. नियम 41 का संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 41 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“41. लाइसेंस तथा परमिट के नवीनीकरण के लिये सारे आवेदन पत्र लाइसेंस शुल्क सहित फरवरी के अंत तक प्राप्त किए जाएंगे - लाइसेंसों तथा परमिटों के नवीनीकरण के लिये सरकार द्वारा अन्यथा निदेश दिये जाने तक सारे आवेदन पत्र लाइसेंस या परमिट नवीनीकरण के लिये देय लाइसेंस या परमिट शुल्क के साथ फरवरी के अन्त से पहले उपायुक्त के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे । विलम्ब की स्थिति में उपायुक्त लाइसेंस या परमिट की समाप्ति से पहले ऐसे आवेदन-पत्र स्वीकार कर सकते हैं, शर्त यह है कि निर्धारित लाइसेंस या परमिट शुल्क के पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर विलम्ब के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण हैं।

उपबन्ध है कि लाइसेंस या परमिट के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र लाइसेंस या परमिट की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार किया जा सकता है यदि भुगतान योग्य लाइसेंस या परमिट शुल्क की दुगुनी राशि के भुगतान के लिये उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण है तथा लाइसेंस या परमिट आबकारी आयुक्त के अनुमोदन से नवीकृत किया जाए”

7. नियम 44 का संशोधन.- मूल नियमावली के नियम 44-

- (i) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (7) आतिथ्य संगठन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा विदेश मंत्रालय , भारत सरकार की संस्तुति पर राजनयिक मिशनों द्वारा आयोजित समारोहों को छोड़कर

किसी भी स्थिति में प्रपत्र एल-16, एल-17, एल-28, एल-29 के लाइसेंस धारक के अतिरिक्त शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी”

(ii) उपनियम (8) हटाया जाएगा

8. नियम 154 का संशोधन : मूल नियमावली के नियम 154-

(i) उपनियम (2) की तालिका “लाइसेंस की अन्य श्रेणियों के लिये लाइसेंस शुल्क” के क्रम सं० 12 पर कालम संख्या 5 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“8,00,000

टीप : विमानपत्तन पर एल-10 विक्रय केन्द्र पर 24 घंटे बिक्री हेतु शुल्क एल-10 लाइसेंस के लिये लागू शुल्क की राशि से दुगुनी राशि होगी”

(ii) उपनियम (2) की तालिका “लाइसेंस की अन्य श्रेणियों के लिये लाइसेंस शुल्क” के क्रम सं. 19 पर कालम संख्या 5 में शब्द और संख्याओं “पाँच सितारा होटल या इससे श्रेणी के होटल के साथ जुड़े किसी रेस्तरां में चौबीस घंटें शराब परोसने का शुल्क एल-16 लाइसेंस पर लागू शुल्क की राशि से दुगुना होगा” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा संख्याएं प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ (क) निम्नलिखित में चौबीस घंटे शराब परोसने का शुल्क :

(i) पाँच सितारा - 30,00,000/- रुपये

(ii) पाँच सितारा डीलेक्स तथा ऊपर - 40,00,000/- रुपये”

(iii) उपनियम (2) की तालिका “लाइसेंस की अन्य श्रेणियों के लिये लाइसेंस शुल्क” के क्रम सं. 43 के कालम सं. 5 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“10,000 (एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष तक)*

या

20000 (तीन वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष तक)*

*व्यक्ति ने जितनी अवधि के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है उतनी अवधि व लिये घोषित आवासीय पते पर अपने ठहरने की पुष्टि करने सम्बन्धी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(iv) उपनियम (4) की तालिका "अन्य शुल्क परमिट/पास/आयात/निर्यात" में क्र. संख्या 10 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जाएगी अर्थात् :-


10	पी -10 क ए (घ)	लाइसेंसशुदा परिसर से भिन्न किसी स्थान पर देशी तथा/अथवा विदेशी शराब परोसने का परमिट - (i) 24 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच केवल पूर्वाह्न 1.00 बजे तक सम्पूर्ण अवधि के दौरान । टिकट वाले वाणिज्यिक समारोहों/आयोजनों या ऐसे आयोजनों/समारोहों की किसी श्रृंखला। (ii) वर्ष की शेष अवधि के दौरान केवल पूर्वाह्न 1.00 बजे तक अन्य वाणिज्यिक टिकट वाले समारोहों/आयोजनों में ।	(i) 24 दिसम्बर से 31 अक्टूबर तक की सम्पूर्ण अवधि के दौरान वाणिज्यिक टिकट वाले समारोहों/आयोजनों के लिये 200000/-रुपये (ii) अन्य वाणिज्यिक समारोहों/आयोजनों पर 100000/-रुपये प्रतिदिन
----	-------------------	---	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 कामरा)
उप-सचिव-III (वित्त)

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. आयुक्त आबकारी, दिल्ली सरकार, एल ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. विशेष कार्याधिकारी, उपराज्यपाल, राज निवास मार्ग, दिल्ली।
4. सचिव, वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. गार्ड फाईल ।
7. वेबसाइट ।


(एस0 के0 कामरा)
उप-सचिव-III (वित्त)

4
(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I. P. ESTATE, NEW DELHI - 110 002

No: F12 (4)/Fin.(Rev-I)/2012-13

Dated the.....2012

NOTIFICATION

No: F.12 (4)/Fin.(Rev-I)/2012-13.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No. 08 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to exempt, with immediate effect, event titled "12th Osian's-Cinefan Film Festival" to be held from 27th July, 2012 to 05th August, at Siri Fort Cultural Complex, August Kranti Marg and The Kila, Seven Style Mile, Opposite Qutab Minar, Mehrauli 2012 from the liability to pay Entertainment Tax.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(S. K. KAMRA)
Deputy Secretary-III (Finance)

No: F. 12 (4)/Fin.(Rev-I)/2012-13 / D.S.M./531

Dated: 26 - 07 - 2012

Copy to:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Commissioner of Entertainment Tax Department, Vikas Bhawan, New Delhi
3. Under Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
4. Website.
5. Guard file.

(S. K. KAMRA)
Deputy Secretary-III (Finance)

दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं फा: 12(4)/वित्त (राजस्व-1)/2012-2013/

दिनांक , 2012

अधिसूचना

सं फा: 12(4)/वित्त (राजस्व-1)/2012-2013/ - दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं० 8) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सिरीफोर्ट कल्चरल कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रान्ति मार्ग एवं किला, सैवन स्टाइल माईल, सामने कुतुब मीनार, महरौली, नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2012 से 05 अगस्त, 2012 के बीच होने वाले "12वें ओसियान-सिनेफेन फिल्म फेस्टिवल" नामक आयोजन को तुरन्त प्रभाव से मनोरंजन कर की देयता से मुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस० के० कामरा)

उप- सचिव-III (वित्त)

सं फा: 12(4)/वित्त (राजस्व-1)/2012-2013/54-07/531 दिनांक 24-07, 2012

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर विभाग, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव, (न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. वेबसाईट।
5. गार्ड फाईल।

(एस० के० कामरा)

उप- सचिव-III (वित्त)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-02.

दिनांक:

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/

अधिसूचना

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/
2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 1
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
प्रवृत्त होने की तिथि नियत करते हैं।

— दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम,
की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
एतद् द्वारा 09 अगस्त, 2012 को उक्त अधिनियम के

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(एस0 के0 कामरा)
उप सचिव-III (वित्त)

दिनांक: 01/08/12

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/5725/545
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली।
5. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. गार्ड फाईल।
10. वेबसाईट।

(एस0 के0 कामरा)
उप सचिव-III (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (Rev-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/

Dated the 2012

NOTIFICATION

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/ -In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2012 (Delhi Act 08 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 9th day of August 2012, as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(S. K. KAMRA)

Deputy Secretary-III (Finance)

Dated 01/8/12

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/ 25/7/545

Copy forwarded to: -

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary to today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
6. The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
7. The Joint Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
9. Guard File.
10. Website.

(S. K. KAMRA)

Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-02.

दिनांक:

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/

अधिसूचना

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/
2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 1
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
प्रवृत्त होने की तिथि नियत करते हैं।

:- दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम,
की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
एतद् द्वारा 09 अगस्त, 2012 को उक्त अधिनियम के

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(एस0 के0 कामरा)
उप सचिव-III (वित्त)

दिनांक: 01/8/12

सं0फा0 12(01)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/5725/12/545
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
5. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. गार्ड फाईल।
10. वेबसाईट।

(एस0 के0 कामरा)
उप सचिव-III (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

FINANCE (Rev-I) DEPARTMENT

DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/

Dated the 2012

NOTIFICATION

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/ -In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2012 (Delhi Act 08 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 9th day of August 2012, as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

(S. K. KAMRA)

Deputy Secretary-III (Finance)

Dated 01/8/12

No. F.12(1)/Fin(Rev-I)/2012-13/ DS/11/595

Copy forwarded to: -

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary to today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
6. The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
7. The Joint Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
9. Guard File.
10. Website.

(S. K. KAMRA)

Deputy Secretary-III (Finance)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2012-13

Dated: the _____, 2012

NOTIFICATION

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2012-13 In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996, (Delhi Act 10 of 1996), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the rate of tax to be levied on the turnover of receipts of the proprietor in respect of luxury provided in establishments, as under:-

S. No.	Establishment	Rate of Tax
1.	Luxury provided in Banquet Hall being run and managed by DDA, MCD, NDMC and Delhi Cantonment Board	Zero
2.	Luxury provided in Banquet Hall other than mentioned at S. No. 1 above	Three percent
3.	Luxury provided in Gymnasium/Health Club	Three percent
4.	Luxury provided in Hotel having tariff of Rs.750/- or above but less than Rs.1000/- per room per day	Three percent
5.	Luxury provided in Spa	Three percent

2. The notifications No. F.12(6)/Fin.(T&I)/2008-09/jsfin/248 dated 22.06.2009 and F.14(12)/LA-2010/lclaw/323 dated 10.09.2010 shall remain in force in respect of hotel having tariff of Rs.1000/- per room per day and above

3. This notification shall come into force with effect from 09th August, 2012.

By order and in the name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi

(S. K. Kamra)
Dy. Secretary-III (Finance)

F.12(3)/Fin(Rev-I)/2012-13 /DS/12/546
Copy forwarded to: -

Dated: 01/8/12

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary to today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.

4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
6. The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
7. The Joint Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- ✓ 9. Guard File.
10. Website.

67
(S. K. KAMRA)
Deputy Secretary-III (Finance)

दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

दिनांक:

सं0फा0: 12(3)/वित्त (राज0-1)/2012-13/

अधिसूचना

सं0फा0: 12(3)/वित्त (राज0-1)/2012-13/ — दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा संस्थापनाओं में उपबंधित विलासिता के संबंध में स्वामी की प्राप्तियों की कुल बिक्री पर वसूल किये जाने वाले कर की दर निम्न प्रकार अधिसूचित करते हैं:-

क्र0 सं0	संस्थापना	कर की दर
1	दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही एवं प्रबंधाधीन प्रीतिभोजशालाओं सुख सुविधा/विलासिता में उपलब्ध	शून्य
2	उक्त क्रम सं0 1 पर उल्लिखित प्रीति भोजशालाओं में उपलब्ध विलासिता/सुख सुविधा	तीन प्रतिशत
3	व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब में उपलब्ध सुख सुविधा/विलासिता	तीन प्रतिशत
4	750/-रुपये या अधिक दर लेकिन 1000/-रुपये प्रति कक्ष/प्रतिदिन से कम वाले होटल में उपलब्ध सुख सुविधा	तीन प्रतिशत
5	स्पा में उपलब्ध सुख सुविधा	तीन प्रतिशत

- 1000/-रुपये प्रति कक्ष प्रतिदिन और अधिक दर वाले होटल के संबंध में दिनांक 22.6.2009 की अधिसूचना संख्या फा0 12/6/वित्त (टीएवंई)/2008-09/जेएसवित्त/248 प्रभावी रहेगी।
- यह अधिसूचना 09 अगस्त, 2012 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 कामरा)
उप- सचिव -III (वित्त)

सं0फा0 12(3)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/5142/546

दिनांक: 01/8/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
6. आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. गार्ड फाईल ।
10. वेबसाईट ।

(एस0 के0 कामरा)
उप सचिव-III (वित्त)

5
(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No. F.12(2)/Fin(Rev-I)/2012-13 /DSM/551

Dated: the 03/8/, 2012

NOTIFICATION

No. F.12(2)/Fin(Rev-I)/2012-13.- In exercise of the powers conferred by section 51 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996, (Delhi Act 10 of 1996) and all other powers enabling to him in that behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the rules to amend the Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996, as following, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force with effect from the 09th August, 2012.

2. **Amendment of rule 2.** – In the Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996 (hereinafter referred to as the "principal Rules"), in rule 2, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -

"(f) 'Guest' means the customer in whose name the luxury in an establishment is booked;"

3. **Amendment of rule 3.** – In the principal Rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: -

"3. Incidence of levy of tax and maintenance of accounts –

(1) *The proprietor shall be liable for collection and payment of tax for luxury, as defined under clause (i) of section 2 of the Act, provided at the establishment to a customer either directly or indirectly through any person or agency.*

(2) *The tax shall be levied and collected by a proprietor –*

- (a) *in respect of luxury provided in the establishment (other than banquet hall) on the tariff rate.*
 - (b) *in respect of luxury provided in a banquet hall in the manner prescribed below –*
 - (i) *where the hiring charges have been collected separately, there shall be levied a tax on such turnover of receipts in respect of hiring charges.*
 - (ii) *where charges have been collected on consolidated basis for all the luxury including food component or in any other manner, then there shall be levied a tax, on sixty percent of such turnover of receipts by treating it as luxury provided in a banquet hall.*
- (3) *Every proprietor shall maintain –*
 - (a) *information of residential accommodation and tariff thereof in respect of hotel in Form 1;*
 - (b) *information of luxury provided in gymnasium/health club or spa and tariff thereof in Form 1A exclusively and separately;*
 - (c) *daily account of occupancy of residential accommodation in hotel and collection of tax therefor, in Form 2;*
 - (d) *daily account of luxury provided in banquet hall or gymnasium/health club or spa and collection of tax therefor, in Form 2A exclusively and separately; and*
 - (e) *monthly abstract of collection and remittance of tax, in Form 3.*
- (4) *The proprietor shall maintain a separate bound register for each of the 'Forms' and shall get each of the pages of such registers serially numbered, sealed and certified by the Commissioner or any officer duly authorized by him in this behalf.:*

Provided that, in case, a proprietor is maintaining the aforesaid 'Forms' in a computerized manner, then such proprietor shall take a printout of such Form on monthly basis and get each of the pages having auto generated serial number, sealed and certified by the Commissioner or any officer duly authorized by him in this behalf."

4. **Amendment of rule 7.** – In the principal Rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely: -

"7. Exhibition of certificate of registration and tariff. – Every registered proprietor shall display conspicuously at each place of business the certificate of registration and tariff rate or copies thereof."

5. **Substitution of the word "hotel".** – For the words "hotel", "a hotel" and "hotels" wherever they occur, except in clause (f) of rule 2, rule 3, rule 7 and in Forms 1 to 8A and 15 appended to the principle Rules, the words "establishment", "an establishment" and "establishments" shall be substituted, respectively.

6. **Substitution of the word "hotelier".** – For the word "hotelier", wherever it occurs, except in rule 3, rule 7 and in Forms 1 to 8A and 15 appended to the principle Rules, the word "proprietor" shall be substituted.

7. **Substitution and insertion of Forms.** – In the principal Rules, in the forms appended thereto, –

(a) for Form 1, the following Form shall be substituted, namely:-

" Form 1
[See rule 3(3)(a)]

Basic Information of accommodation (room) and tariff

1. Name and Address of Establishment:
2. Telephone Number:
3. Name of Proprietor/
Managing Director etc:
4. Registration No.:

Type of Room	Total number of rooms	Room No.	Tariff		
			Single occupancy	Double Occupancy	Extra Bed
Standard					
Deluxe					
Super Deluxe					

Executive					
Suite					
Others (Specify)					

Signature.....
Name.....
Designation.....

Date:

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Place:
Date:

Signature of Proprietor

(b) after Form 1, the following Form shall be inserted, namely:-

" Form 1A
[See rule 3(3)(b)]

**Basic Information of luxury in respect of Gymnasium/Health Club or Spa and
tariff**

1. Name and Address of Establishment:
2. Telephone Number:
3. Name of Proprietor/
Managing Direction etc:

4. Registration No.:

Type of Luxury (Gymnasium/Health Club or Spa)	Description of Luxury	Tariff

Signature.....

Name.....

Designation.....

Date:

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to
the best of my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature of Proprietor

(c) for Form 2, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 2
{See rule 3(3)(c)}

**Daily account of occupancy of residential accommodation (room) in hotel
and collection of tax**

Name and Address of Establishment:

Registration No.:

S. No.	Name of the Guest	Age	Nationality	Room No./Name of room occupied	Rate of charges for accommodation for residence per day	Arrival date and time	Departure date and time
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Period of stay of each guest	Total amount of charges for accommodation for residence	Charges paid by guest in Indian or foreign currency	No. of guests who occupied the room or accommodation in hotel	Bill/Cash Memo No. and date	Amount of Luxury Tax collected	Remarks
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Signature.....
Name.....
Designation.....

Date:

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature of Proprietor

(d) after Form 2, the following Form shall be inserted, namely:-

" FORM 2A
[See rule 3(3)(d)]

**Daily account of luxury provided in Banquet Hall or Gymnasium/Health Club or Spa
and collection of tax**

Name and Address of Establishment:

Registration No.:

S. No.	Bill/Cash Memo No. and date	Description of luxury	Rate of charges levied for luxury
1.	2.	3.	4.

Total amount of charges realized	Total amount of non-taxable receipts	Total amount of taxable receipts	Amount of luxury tax collected	Remarks
5.	6.	7.	8.	9.

Signature.....
Name.....
Designation.....

Date:

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Signature of Proprietor

Place:

Date:

(e) for Form 3, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 3
[See rule 3(3)(e)]

Monthly abstract of collection and remittance of tax

Name and Address of Establishment:

Registration No.:

Period:

S. No.	Categories of luxury	Total No. of the guest	Total charges recovered for luxury	Total Luxury Tax collected	Luxury tax paid to Government			Remarks
					Amount	Challan No. & date	Balance	
1.	2.	3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	7.
1.	Room Accommodation in a hotel							
2.	Banquet Hall							
3.	Gymnasium/ Health Club							
4.	Spa.							

Signature.....
Name.....
Designation.....

Date:

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Place:

Date:

..

Signature of Proprietor

(f) for Form 4, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 4
[See rule 5(1) and (4)]

Serial No.

Application for Registration under section 8 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996

To

The Registering Authority

.....
.....
.....

* I, (name of the applicant), the
(Proprietor/Partner/Managing Director/Director/Trustee/Authorized Person etc.) of
..... (Name of the firm/company/local authority/corporation/society/club/
association of individuals/Hindu undivided family/trust etc.) having its registered address as
..... carrying on business known
as (Name of the Establishment)

OR

*I, (Name of the applicant and designation), the officer-in-
charge/authorized person etc. of the business known as (Name
and address of the Establishment) carried on by the Central Government/the Government of
the State/UT of

whose *only/*chief place of business within the jurisdiction of the Luxury Tax Officer,
..... (Name of District) is situated at
..... (address), hereby apply for registration under section 8 of the Delhi
Tax on Luxuries Act, 1996.

2. *The name and permanent residential address of the proprietor/*all the
partners/Managing Director and Directors/all the members of the managing committee of the
society or club or other association/all persons having any interest in the business (including
the members of a Hindu undivided family business), their age and father's name are as
follows (not to be filled in, if the applicant is a body corporate incorporated under any law or
a department of Government) :-

Name	Father's Name	Age	Permanent residential address

3. Date of commencement of the business

4. The application for registration is made on account of -

* (a) having commenced the business since and the liability to pay tax in respect thereof under the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 having commenced with effect from

*(b) part/entire business known as(Name of the establishment) transferred from (name of the firm / company etc) to (Name of the firm / company etc) with effect from (date of transfer)

5. The said..... (name of the Establishment) *is/is not registered under the Delhi Value Tax Act, 2004. The detail of certificate of registration is as follows:

Registration Certificate No.....

Date of Issue

6. The accounts of the said business are kept as per the financial year starting on and ending on

7. * I have following additional place(s) of business at the address enumerated below and have no other place of business in the National Capital Territory of Delhi.

Name and style of business at the additional place of business	Full address of the additional place of business	Registration Certificate No. (luxury tax) and its date of issue (if already registered)

8. Two copies of my / our recent photograph(s) is furnished with this application as required by sub rule (6) of rule 5.

9. The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature

Place :

Date:

(Status of the applicant)

10. Declaration by partners of a firm :-

We, the within signed, hereby declare that we are carrying on the business in partnership known as at and other places in the National Capital Territory of Delhi and we state that the statements and declarations contained in this application for the registration of the said partnership firm are true to the best of our knowledge and belief :-

S.No.	Full Name of each Partner including his father's name	Permanent address	Extent of share in the partnership	Name and address of all business in which the partner has any share of interest	Signature

Place :

Date :

* Strike out whichever is not applicable.

Acknowledgement

Received an application in Form 4 fromfor registration under section 8 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996.

Date:

Signature of Receiving Officer"

(g) for Form 5, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 5
[See rule 6]

Certificate of Registration under section 8 of the Delhi tax on Luxuries Act, 1996

No.....

District.....

This is certify that *Shri/Ms/Messrs the of who/which is carrying on the business know as whose *only/*chief place of business in (District) is situated at has been

registered as a proprietor under section 8 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 with effect from

This proprietor has additional place/places of business at the address/addresses specified below:

.....
.....
.....

Seal of Registering Authority

Signature

Registering Authority

Place:

Date:

(The registering authority will sign against the last entry at the time of issuing the Certificate and against any subsequent exclusion, addition or other amendment)

* Strike out whichever phrase/clause is not applicable."

(h) for Form 6, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 6
{See rule 8(1)}

**Application of Cancellation of Registration under Section 8(5) of the Delhi Tax on
Luxuries Act, 1996**

To

The Registering Authority,
.....
.....

I, (name) the
(Proprietor/Partner/Managing Director/Director/Trustee/Authorized Person etc.) of
..... (Name of the firm/company/local
authority/corporation/society/club/association of individuals/Hindu undivided family/trust etc.)
who is carrying on the business know as holding a
certificate of registration bearing number under the Delhi Tax on luxuries
Act, 1996, whose *only/*chief place of business is situated at
(address) hereby apply for the cancellation of the said certificate of registration under rule 8
of the Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996 on account of:-

- *(a) the said business having been discontinued with effect from
- *(b) the said business having been transferred in accordance with the section 6(4) with
effect from.....
- *(c) the following change having been effected in the ownership of the said business, with
effect from
- *(d) the said business having been disposed of wholly as under with effect from
.....
- *(e) the additional place of business having been discontinued with effect from
.....
- *(f) the place of business having been shifted to the following address, with effect from
.....
- *(g) the following other reasons:

May present address is as under:-
.....
.....

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature

Status

* Strike out whichever phase/clause is not applicable.

Acknowledgement

Received an application in Form 6 signed by Shri dated for
cancellation of certificate of registration.

No.....

Date:

Serial No.....

Receiving Officer "

(i) for Form 7, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 7

[See rule 9]

**Declaration/Revised Declaration under Section 31 of Delhi Tax on
Luxuries Act, 1996**

*I/We.....(name of the applicant), the
(Proprietor/Partner/Managing Director/Director/Trustee/ Authorized Person etc.) of
..... (Name of the firm/company/local
authority/corporation/society/club/association of individuals/Hindu undivided family/trust etc.)
carrying on business known as (Name of the
Establishment) situated at in the National Capital Territory
of Delhi and liable to pay the tax under the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996, do hereby
declare *in supersession of my/our previous declaration dated that:

*I/We am/are the owner/owners of the establishment in which the above said
business is being carried on by me/us.

*The establishment in which the above said business is being carried on by me/us is
owned by the following person/persons.

S. No.	Full name/names of the person/persons who owns/own the establishment	Constitution of the proprietor (i.e. individual, firm, body, Corporate etc.)	Residential Address of the proprietor	Signature of the proprietor
1.				
2.				
3.				

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature

(Status of the applicant)

* Strike out whichever phase/clause is not applicable."

- (j) for Form 8, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM 8
[See rules 12(1) and (4)]

Return of Tax payable by a Proprietor under the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996

(All figures should be rounded off to the nearest rupee)

Name and Address of the Proprietor

Luxury Tax R.C. No.

Period from to

PART I

Computation of Turnover of Receipts liable to Tax

1.	Total turnover of receipts of the proprietor during the period (This should be calculated on the basis of declared tariff rates in respect of luxury provided in a Hotel, Gymnasium/Health Club & Spa, giving regard to section 3(4) of the Act and in case of banquet hall, the same should be calculated on actual receipts)	
2.	Deductions:	
A.	Turnover of receipts, where the charges for accommodation in the hotel are less than Rs.750 per room per day and hence tax is not payable thereon	
B.	Turnover of receipts, on which tax is not payable on account of luxury provided to DIPLOMATS	
C.	Turnover of receipts, on which VAT is levied or leviable [In case of Banquet Hall refer to rule 3(1)(i) and (ii)]	
D.	Turnover of receipts for which exemption granted by the Government under Section 22	
E.	Turnover of receipts on which tax is not payable as per section 3(4) of the Act. (where luxury provided to an employee of the establishment is not charged at all, or is charged at concessional rate)	
F.	Deduction under rule 17	
G.	Total deduction (A + B + C + D + E + F)	
3.	Net turnover of receipts liable to tax (1 - 2)	

PART II

Calculation of Tax Payable

4. Calculation of tax

Sl. No.	Categories of receipts which are the constituents of turnover at Sl. No. 3 of Part I	Rate of Tax (in %)	Net turnover of receipt (as at Sl. No. 3 of Part I)	Tax payable @ specified in Col.(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Where the accommodation provided in a hotel is Rs.750 or more but less than Rs.1000 per room per day			
II.	Where the accommodation provided in a hotel is Rs.1000 or more per room per day			
III.	For luxury provided in Banquet Hall			
IV.	For luxury provided in Gymnasium/Health Club			
V.	For luxury provided in Spa.			
Total				

PART-III

Amount Payable/Refundable as per the Return

5.	Total tax payable as per Part II	
6.	Detail of payment of tax	
A.	Amount credited under Refund Adjustment Order No Dated	
B.	Refund due as per previous return for the period from to adjusted against tax payable in this return	
C.	Total amount deducted on account of (A) & (B) above	
7.	Net Tax payable (5 - 6)	
8.	Total amount paid: Challan No. Dated Challan No. Dated Challan No. Dated	
9.	Net amount payable/refundable, if any (7 - 8)	
10.	Interest under section 16(2)	
11.	Penalty under section	
12.	Amount payable/refundable as per this return(9+10+11)	
13.	Amount paid with this Return (in figure) (in words).....	

14. Amount paid in by D.D./P.O. No. dated
Rs..... drawn on (name of the bank)

I,(name) resident of
do hereby solemnly affirm and say that the contents of the above Form are true to the best
of my knowledge and belief.

Place:

Signature

Date:

Status of the Signing Authority "

(k) for Form 8A, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM 8A
{See rules 12(1)(2) & 16(1)}

LUXURY TAX CHALLAN PART 'A'	LUXURY TAX CHALLAN PART 'B'
(To be retained by bank)	(To be returned by bank to Luxury Tax Deptt.)
LUXURY TAX Date:	LUXURY TAX Date:
At State Bank of India, I.P. Estate Branch, New Delhi	At State Bank of India, I.P. Estate Branch, New Delhi
Period of Payment to	Period of Payment to
Credited: Consolidated fund of India (Delhi)	Credited: Consolidated fund of India (Delhi)
Head: 0045-Other Taxes and Duties on commodities & services, 105-Luxury Tax	Head: 0045-Other Taxes and Duties on commodities & services, 105-Luxury Tax
Name & Address of Establishment:	Name & Address of Establishment:
R.C. No. (D.C.R. No.)	R.C. No. (D.C.R. No.)
Amount of payment on account of:	Amount of payment on account of:
1. Tax according to return	1. Tax according to return
2. Tax assessed	2. Tax assessed
3. Interest under section 16	3. Interest under section 16
4. Penalty under section	4. Penalty under section
5. Composition	5. Composition
6. Other duties	6. Other duties
Total	Total
In words (Rupees)	In words (Rupees)
D.D./P.O. No. dated drawn on	D.D./P.O. No. dated drawn on
Signature of the Proprietor Dated	Signature of the Proprietor Dated
FOR USE IN BANK	FOR USE IN BANK
Received Payment of Rs. (Rupees	Received Payment of Rs. (Rupees
D.D./P.O. No. dated	D.D./P.O. No. dated
Date of Entry Seal Bank Accountant	Date of Entry Seal Bank Accountant

LUXURY TAX CHALLAN PART 'C'	LUXURY TAX CHALLAN PART 'D'
(To be submitted by depositor to Luxury Tax Deptt.)	(To be retained by Depositor)
LUXURY TAX Date..... At State Bank of India, I.P. Estate Branch, New Delhi Period of Payment to Credited: Consolidated fund of India (Delhi) Head: 0045-Other Taxes and Duties on commodities & services, 105-Luxury Tax Name & Address of Establishment: R.C. No. (D.C.R. No.) Amount of payment on account of: 1. Tax according to return 2. Tax assessed 3. Interest under section 16 4. Penalty under section 5. Composition 6. Other duties Total In words (Rupees.....) D.D./P.O. No. dated drawn on Signature of the Proprietor Dated FOR USE IN BANK Received Payment of Rs..... (Rupees) D.D./P.O. No. dated Date of Entry Seal Bank Accountant	LUXURY TAX Date..... At State Bank of India, I.P. Estate Branch, New Delhi Period of Payment to Credited: Consolidated fund of India (Delhi) Head: 0045-Other Taxes and Duties on commodities & services, 105-Luxury Tax Name & Address of Establishment: R.C. No. (D.C.R. No.) Amount of payment on account of: 1. Tax according to return 2. Tax assessed 3. Interest under section 16 4. Penalty under section 5. Composition 6. Other duties Total In words (Rupees.....) D.D./P.O. No. dated drawn on Signature of the Proprietor Dated FOR USE IN BANK Received Payment of Rs..... (Rupees) D.D./P.O. No. dated Date of Entry Seal Bank Accountant"

(I) for Form 15, the following Form shall be substituted, namely:-

**" FORM-15
{See Rule 24(1)}**

**Order of Assessment of Tax under section 13/15 of
the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996**

Name and Address of the Establishment

.....

.....

Assessed u/s 13/15. Notice in Form 12 issued/served on

Luxury Tax R.C. No.	
Period of Assessment	From..... to
Books of Accounts Produced	
Accounting Method	

PART-I
Turnover of receipts liable to tax

		As in the Proprietor's Return (in Rs.)	As determined u/s 13/15 (in Rs.)
1.	Total turnover of receipts of the proprietor during the period		
2.	Deductions		
A.	Turnover of receipts, where the charges for accommodation in the hotel are less than Rs.750 per room per day and hence tax is not payable thereon		
B.	Turnover of receipts, on which tax is not payable on account of luxury provided to DIPLOMATS		
C.	Turnover of receipts, on which VAT is levied or leviable [In case of Banquet Hall refer to rule 3(1)(i) and (ii)]		
D.	Turnover of receipts for which exemption granted by the Government under Section 22		
E.	Turnover of receipts on which tax is not payable as per section 3(4) of the Act. (where luxury provided to an employee of the establishment is not charged at all, or is charged at concessional rate)		
F.	Deduction under rule 17		
G.	Total deduction (A + B + C + D + E + F)		
3.	Net turnover of receipts liable to tax		

PART-II
Calculation of Tax

4. Calculation of Tax (Rate of tax

Sl. No.	Categories of receipts which are the constituents of turnover at Sl. No.3 of Part I	As in the Proprietor's Return (in Rs.)		As determined u/s 13/15 (in Rs.)	
		Net Turnover of receipts	Tax Payable	Net Turnover of receipts	Tax Payable
I.	Where the accommodation provided in a hotel is Rs.750 or more but less than Rs.1000 per room per day				

II.	Where the accommodation provided in a hotel is Rs.1000 or more per room per day				
III.	For luxury provided in Banquet Hall				
IV.	For luxury provided in Gymnasium/Health Club				
V.	For luxury provided in Spa				
Total					

PART-III
Amount Payable/Refundable

		As in the Proprietor's Return (in Rs.)	As determined u/s 13/15 (in Rs.)
5.	Total tax payable as per Part II		
6.	Detail of payment of tax		
A.	Amount credited under Refund Adjustment Order NoDated		
B.	Advance payment of tax, if any Challan No.DateAmount.....		
C.	Amount paid with returns Details of payment made at (B) and (C) above: Challan No.DateAmount..... Challan No.DateAmount..... Challan No.DateAmount..... Challan No.DateAmount.....		
7.	Total amount deducted on account of (A), (B) and (C) above.		
8.	Balance of tax due/refund, if any.		
9.	Additions:		
A.	Interest under section 16(2)		
B.	Penalty under section 16(1)(a)(i).		
C.	Penalty under section 16(1)(b).....)(ii).		
D.	Penalty under section 17		
E.	Penalty under section 42		
F.	Penalty under rule 52		
G.	Amount forfeited being the sum collected in contravention of section 27.		
H.	Total amount added on account of (A) to (G) above.		
10.	Final amount due/refund, if any.		

PART-IV
Assessment Order

Seal

Place:

Signature

Date:

Designation "

By order and in the name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

(S. K. Kamra)
Dy. Secretary-III (Finance)

No. F.12(2)/Fin(Rcv-I)/2012-13/12511/551

Dated: the 03/01, 2012

Copy forwarded to: -

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary to today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
6. The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
7. The Joint Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
9. Guard File.
10. Website.

(S. K. Kamra)
Dy. Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

चौथा तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0: 12(2)/वित्त (राज0-1)/2012-13/514577/551

दिनांक: 03/8/12

अधिसूचना

सं0फा0: 12(2)/वित्त (राज0-1)/2012-13/ :- दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1966 (1966 का दिल्ली अधिनियम 10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बद्ध में उन्हें संशक्त बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 का संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ .-

- (1) इन नियमों को दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा ।
- (2) यह नियम 9 अगस्त, 2012 से प्रभावी होंगे ।
2. धारा 2 का संशोधन :- दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 में (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित), के नियम 2 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) "अतिथि" का अर्थ ग्राहक से है, जिसके नाम किसी स्थापना में विलासिता सुख सुविधा सुरक्षित की गई है;" ।

3. नियम 3 का संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. कर की उगाही (लेवी) का विस्तार तथा लेखा का रखरखाव-

(1) स्वामी अधिनियम की धारा (2) के खंड (i) के अन्तर्गत यथापरिभाषित उस सुख सुविधा के लिये कर के संग्रहण तथा भुगतान के प्रति उत्तरदायी होगा जो किसी ग्राहक को किसी व्यक्ति या अभिकरण के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संस्थापना में उपलब्ध है ।

(2) किसी स्वामी द्वारा कर लगाया तथा संग्रह किया जाएगा-

(क) प्रभार दर पर संस्थापना (प्रीति भोजशाला के अलावा) में उपलब्ध सुख सुविधा के संबंध में ।

(ख) किसी प्रीति भोजशाला में निम्नलिखित निर्धारित पद्धति से उपलब्ध सुख सुविधा/विलासिता-

(i) जहाँ पर भाड़ा प्रभार अलग से संग्रहण किए गए हैं, वहाँ भाड़ा प्रभारों के संबंध में प्राप्तियों की ऐसी कुल बिक्री पर कर वसूल किया जाएगा ।

(ii) जहां पर सभी प्रकार की सुख सुविधा खाद्य पदार्थ घटक या किसी अन्य पद्धति सहित विलासिता के लिये समेकित आधार पर प्रभार वसूल किये गए हैं। वहां किसी प्रीति भोजशाला में उपलब्ध सुख सुविधा के रूप में इसे मानकर प्राप्तियों की ऐसी कुल बिक्री के साथ प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा।

(3) प्रत्येक स्वामी निम्नलिखित का रखरखाव करेंगे—

(क) होटल के संबंध में आवासीय स्थान पर इसके शुल्क की जानकारी प्रपत्र-1 में;

(ख) व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब या स्पा में उपलब्ध सुख सुविधा तथा इसके शुल्क की जानकारी विशेष रूप से और अलग से प्रपत्र-1क में;

(ग) होटल में आवासीय स्थान के अधिभोग का दैनिक खाता और इसके लिये कर का संग्रहण प्रपत्र-2 में;

(घ) प्रपत्र 2क में विशेष रूप से और अलग से प्रीति भोजशाला या व्यायामशाला या स्पा में उपलब्ध सुख सुविधा का दैनिक खाता और इसके लिये कर का संग्रहण; तथा

(ङ) प्रपत्र-3 में कर के संग्रहण और प्रेषण का मासिक सारांश

(4) स्वामी सभी प्रकार के प्रपत्रों के लिये अलग-अलग जिल्दबंद रजिस्टर बनाएगा और आयुक्त द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ की क्रमवार संख्या डाली जाएगी। सीलबंद किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा।

शर्त यह है कि यदि कोई स्वामी पूर्वोक्त प्रपत्र किसी कम्प्यूटरीकृत पद्धति से बना रहा है, तब ऐसा स्वामी मासिक आधार पर ऐसे प्रपत्रों के प्रिंट आउट लेगा और आयुक्त द्वारा या इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वतः लगी क्रम संख्या वाला प्रत्येक पृष्ठ सीलबंद तथा प्रमाणित किया जायेगा।

4. नियम 7 का संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7. पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं प्रभार का प्रदर्शन — प्रत्येक पंजीकृत स्वामी प्रत्येक व्यवसाय स्थल पर पंजीकरण प्रमाण पत्र और प्रभार दर या इसकी प्रतियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।”

5. शब्द “होटल” का प्रतिस्थापन :- मूल नियमावली के नियम 2 के खंड (च) नियम 3, नियम 7 और इसके साथ संलग्न प्रपत्र 1 से 8क और 15 के सिवाय जहां कहीं शब्द “होटल” कोई होटल तथा होटल आते हैं वहां उनके स्थान पर क्रमशः शब्द “स्थापना”, कोई स्थापना तथा स्थापनाएं प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. शब्द होटलियर का प्रतिस्थापन :- मूल नियमावली के नियम 3, नियम 7 एवं इसके साथ संलग्न प्रपत्र 1 से 8क और 15 के सिवाय जहां कहीं शब्द “होटलियर” आता है उसके स्थान पर शब्द “स्वामी” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. प्रपत्रों का प्रतिस्थापन एवं समावेश :- मूल नियमावली तथा इसके साथ संलग्न प्रपत्रों में :-
(क) प्रपत्र 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

**‘प्रपत्र-1
(नियम 3 (3)(क) देखिए)**

कमरे तथा शुल्क संबंधी मूलभूत जानकारी

1. संस्थापना का नाम एवं पता :
2. टेलिफोन संख्या :
3. स्वामी/प्रबंध निदेशक आदि का नाम:
4. पंजीकरण संख्या :

कमरे का प्रकार	कमरों की कुल संख्या	कमरा सं०	प्रभार		
			एक बिस्तर वाला कमरा	दो बिस्तर वाला कमरा	अतिरिक्त बिस्तर
स्टैंडर्ड					
डीलैक्स					
सुपर डीलैक्स					
इंजेक्चूटिव					
कमरों का सेट					
अन्य (उल्लेख कीजिए)					

हस्ताक्षर: _____
नाम : _____
पदनाम : _____

दिनांक:

मैं _____ (नाम) _____ निवासी इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और उक्त प्रपत्र में उल्लिखित जानकारी मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्वामी का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

(ख) प्रपत्र 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

**“प्रपत्र 1क
(नियम 3 (3)(ख) देखिए)**

व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब या स्पा में सुख सुविधाओं एवं प्रभार के बारे में मूलभूत जानकारी

1. संस्थापना का नाम एवं पता :
2. टेलिफोन संख्या :
3. स्वामी/प्रबंध निदेशक आदि का नाम
4. पंजीकरण संख्या :

सुख सुविधा का प्रकार (व्यायामशाला /स्वास्थ्य क्लब या स्पा)	सुख सुविधा का विवरण	प्रभार

हस्ताक्षर : _____
नाम : _____
पदनाम : _____

दिनांक:

मैं _____ (नाम) _____ निवासी इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और उक्त प्रपत्र में उल्लिखित जानकारी मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्वामी का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

(ग) प्रपत्र-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“प्रपत्र 2
(नियम 3 (3)(ग) देखिए)**

होटल में आवासीय कक्ष के अधिभोग/ठहराव तथा कर संग्रहण का दैनिक खाता

स्थापना का नाम एवं पता :

पंजीकरण संख्या :

क्र०सं०	अतिथि का नाम	आयु	राष्ट्रीयता	जिस कमरे में ठहराव है उसकी संख्या तथा नाम	प्रतिदिन रहने वाले आवास/कमरे के प्रभार की दर	आगमन की तिथि एवं समय	प्रस्थान की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रत्येक अतिथि के ठहरने की अवधि	रहने वाले आवास/कमरे के प्रभारों की कुल राशि	भारतीय या विदेशी मुद्रा में अतिथि द्वारा भुगतान किए गए प्रभार	अतिथियों की संख्या जिनके पास होटल के कमरे या आवास है	बिल/कैश मीमों की संख्या और तिथि	विलासिता कर की संग्रह की गई राशि	टिप्पणी
9	10	11	12	13	14	15

हस्ताक्षर: _____
नाम : _____
पदनाम : _____

दिनांक:

मैं _____ (नाम) _____ निवासी इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और उक्त प्रपत्र में उल्लिखित जानकारी मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्वामी का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

(घ) प्रपत्र-2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्रपत्र 2क
(नियम 3 (3)(घ) देखिए)

प्रीति भोजशाला या व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब या स्पा में उपलब्ध सुख सुविधा एवं कर संग्रहण का दैनिक खाता

स्थापना का नाम एवं पता :

पंजीकरण संख्या :

क्र० सं०	बिल/कैश मीमो संख्या और तिथि	सुख-सुविधा का विवरण	सुख सुविधा के लिये वसूल किए गये प्रभारों की दर
1	2	3	4

वसूल किए गए प्रभारों की कुल राशि	न कर योग्य प्राप्तियों की कुल राशि	कर योग्य प्राप्तियों की कुल राशि	संग्रह किए गए विलासिता कर की राशि	टिप्पणी
5	6	7	8	9

हस्ताक्षर: _____

नाम : _____

पदनाम : _____

दिनांक:

मैं _____ (नाम) _____ निवासी इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और उक्त प्रपत्र में उल्लिखित जानकारी मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्वामी का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

“

(ड) प्रपत्र 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“प्रपत्र-3
(नियम 3 (3)(ड) देखिए)
कर संग्रहण और प्रेषण का मासिक सारांश**

स्थापना का नाम एवं पता :

पंजीकरण संख्या :

अवधि :

क्र० सं०	सुख सुविधा की श्रेणियां	अतिथियों की कुल संख्या	सुख सुविधा के लिये वसूल किए जाने वाले प्रभार	संग्रह किया गया कुल विलासिता कर	सरकार को भुगतान किये गये विलासिता कर			टिप्पणी
					राशि	चालान संख्या एवं तिथि	आदि शेष	
1	2	3	4	5	6क	6ख	6ग	7
1	किसी होटल में कमरे का आवास							
2	प्रीति भोजशाला							
3	व्यायामशाला / स्वास्थ्य क्लब							
4	स्पा							

हस्ताक्षर: _____

नाम : _____

पदनाम : _____

दिनांक:

मैं _____ (नाम) _____ निवासी इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और उक्त प्रपत्र में उल्लिखित जानकारी मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्वामी का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

“

(च) फार्म 4 के लिए निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

प्रपत्र-4
(नियम 5 (1) तथा (4) देखें)

क्रम सं०.....

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण अधिकारी

* मैं _____ (आवेदक का नाम) _____
(फर्म/कंपनी/स्थानीय अधिकरण/निगम/सोसायटी/क्लब/व्यक्तियों के संघ/हिन्दु अविभक्त परिवार/
ट्रस्ट आदि) का _____ (स्वामी/हिस्सेदार/प्रबंध निदेशक/
निदेशक/न्यासी/अधिकृत व्यक्ति आदि) हूँ तथा जिसका पंजीकृत पता _____
_____ है और _____
_____ (स्थापना का नाम) नामक व्यापार कर रहा हूँ।

या

* मैं _____ (आवेदक का नाम और पद) _____
_____ नाम व्यापार (स्थापना का नाम और पता) का प्रभारी
अधिकारी/अधिकृत व्यक्ति हूँ जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र _____
द्वारा चलाया जा रहा है।

जिसका केवल/प्रधान व्यापार स्थान _____ (जिले का नाम) के
विलासिता कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में _____ (पता) पर है
इसे द्वारा दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता
हूँ।

2. स्वामी/सभी हिस्सेदारों/प्रबंध निदेशकों/निदेशकों/ या क्लब या अन्य संघों/सोसायटी की प्रबंध
समिति के सभी सदस्यों/व्यापार में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों(हिन्दु अविभक्त परिवार व्यापार के
सदस्यों सहित) के नाम तथा स्थायी आवासीय पते तथा उनकी आयु, पिता का नाम निम्न प्रकार है (यदि
आवेदक किसी कानून या सरकारी विभाग की नियमित निकाय है तो नहीं भरा जायेगा) :-

नाम	पिता का नाम	आयु	स्थायी आवासीय पता

3. व्यापार प्रारंभ की तिथि _____

4. पंजीकरण के आवेदन का कारण -

* (क) व्यापार _____ से शुरू किया तथा दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 के अधीन का दायित्व _____ से शुरू हो रहा है।

* (ख) _____ (व्यापार का नाम) का पूर्ण/आंशिक भाग _____ से (फर्म/कंपनी आदि नाम/पता) _____ को (फर्म / कंपनी का नाम/पता) _____ से (स्थानान्तरण की तिथि) स्थानांतरित हो चुका है।

5. उक्त _____ (स्थापना का नाम) दिल्ली मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2004 के अधीन पंजीकृत है/ नहीं है। पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण इस प्रकार है:-

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या _____
जारी होने की तिथि _____

6. उक्त व्यापार का लेखा वित्त वर्ष के अनुसार _____ से शुरू तथा _____ से समाप्त है।

7. मेरे अन्य व्यापार निम्नलिखित व्यापार स्थानों पर हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई अन्य व्यापार नहीं है।

अतिरिक्त स्थानों पर व्यापार का नाम और स्वरूप	अतिरिक्त स्थानों पर व्यापार का पूरा पता	पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. (विलासिता कर) तथा जारी होने की तिथि (यदि पंजीकृत है)

8. नियम 5 के उपनियम (6) में यथापेक्षित हाल के मेरे/हमारे फोटो की दो प्रतियां इस आवेदन के साथ लगी हैं।

9. उक्त विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पद)

स्थान: _____

तिथि : _____

10. फर्म के हिस्सेदारों द्वारा घोषणा :-

हमें अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि _____ स्थान पर है तथा नामक व्यापार _____ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य स्थानों पर है तथा इस आवेदन में उक्त भागीदारी फर्म के पंजीकरण के लिए हमारा विवरण तथा घोषणा हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है :-

क्र० सं०	प्रत्येक भागीदार का नाम, पिता नाम सहित	स्थायी पता	भागीदारी की मात्रा	उन सभी व्यापारों का नाम और पता जिसमें भागीदार का हिस्सा है	हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

* जो लागू न हो काट दें।

पावती

_____ से फार्म 4 में दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

तिथि

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(छ) फार्म 5 के लिए निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

प्रपत्र-5
(नियम 6 देखें)

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 6 के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र

सं०. _____

जिला _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मैसर्स _____ जो
_____ नाम व्यापार करते हैं जिनका केवल/मुख्य व्यापार स्थान
_____ (जिला) में _____
पते पर स्थित है ने दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अधीन व्यापार स्वामी के रूप में
_____ से पंजीकृत करवाया है।

इस स्वामी का नीचे दिए गए पते/पतों पर अतिरिक्त व्यापार/व्यापार स्थान हैं:-

पंजीकरण अधिकारी की मोहर

हस्ताक्षर
पंजीकरण अधिकारी

स्थान :

तिथि :

(पंजीकरण अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करते समय अंतिम प्रविष्टि के सामने तथा बाद में घटाने बढ़ाने या संशोधन के सामने हस्ताक्षर करेंगे)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(ज) फार्म 6 के लिए निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्रपत्र-6
(नियम 8 (1) देखें)

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 8 (5) के अधीन पंजीकरण को निरस्त करने का आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण अधिकारी

मैं _____ (नाम) _____ (फर्म/कंपनी/
स्थानीय अधिकरण/निगम/शोसायटी/क्लब/व्यक्तियों के संघ/हिन्दु अविभक्त परिवार/ट्रस्ट आदि) का
_____ (स्वामी/हिस्सेदार/प्रबंध निदेशक/निदेशक/न्यासी/
अधिकृत व्यक्ति आदि) हूँ जो _____ नाम व्यापार कर रही है। जिसके पास
_____ संख्या का दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996
के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र है जिसका केवल/मुख्य व्यापार स्थान _____
(पता) है इसके द्वारा दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 के नियम 8 के अधीन उक्त पंजीकरण प्रमाण
पत्र को निरस्त करने का आवेदन करता हूँ इसका कारण है :-

- * (क) उक्त व्यापार दिनांक _____ से बन्द है।
- * (ख) उक्त व्यापार को दिनांक _____ से धारा 6 (4) के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है।
- * (ग) दिनांक _____ से उक्त व्यापार के स्वामित्व में परिवर्तन किया गया है।
- * (घ) उक्त व्यापार को दिनांक _____ से निम्न प्रकार से पूर्णतः बेच दिया गया है।
- * (ङ) अतिरिक्त व्यापार स्थानों पर दिनांक _____ से व्यापार बंद कर दिया गया है।

* (च) व्यापार स्थान को दिनांक _____ से निम्नलिखित पते पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

* (छ) अन्य कारण _____

मेरा वर्तमान पता इस प्रकार है :-

मैं _____ (नाम) पता _____

इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक शपथ लेता हूँ कि उक्त फार्म का विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान:

तिथि :

हस्ताक्षर
पद

* जो लागू न हो उस भाग को काट दें।

पावती

श्री _____ से हस्ताक्षरित फार्म 6 में आवेदन दिनांक _____ को पंजीकरण को निरस्त करने हेतु प्राप्त किया।

संख्या : _____

तिथि : _____

क्रम सं० _____

प्राप्त करने वाला अधिकारी

(झ) फार्म 7 के लिए निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**“प्रपत्र-7
(नियम 9 देखें)**

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 31 के अन्तर्गत घोषणा/संशोधित घोषणा

* मैं/हम _____ (आवेदक का नाम) _____
(फर्म/कंपनी/स्थानीय अधिकरण/निगम/सोसायटी/क्लब/व्यक्तियों के संघ/हिन्दु अविभक्त परिवार/
ट्रस्ट आदि) का _____ (स्वामी/हिस्सेदार/प्रबंध निदेशक/
निदेशक/न्यासी/अधिकृत व्यक्ति आदि) हूँ तथा जिसका पंजीकृत पता _____

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है
और दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 के अधीन कर देने के लिये उत्तरदायी हूँ तथा इसके द्वारा
अपनी पिछली दिनांक _____ की घोषणा का अधिक्रमण करते हुए घोषणा करता हूँ कि:

* मैं/हम स्थापना के स्वामी है जिससे उपरोक्त व्यापार मेरे/हमारे द्वारा किया जा रहा है।

* जिस स्थापना में उपरोक्त व्यापार मेरे/हमारे द्वारा किया जा रहा है उसके स्वामी निम्नलिखित
है।

क्र० सं०	स्थापना के स्वामी व्यक्ति का पूरा नाम और पता	स्वामित्व संघटन व्यक्तिगत, निकाय, आदि)	का (अर्थात् फर्म, निगम	स्वामी का आवासीय पता	स्वामी के हस्ताक्षर
1					
2					
3					

मैं _____ (नाम) पता _____

इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक शपथ लेता हूँ कि उक्त फार्म का विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार
सत्य है।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर
(आवेदन का पद)

* जो लागू न हो उस भाग को काट दें।”

(ट) फार्म 8 के स्थान पर निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

फार्म-8

(नियम 12(1) एवं (4) देखें)

स्वामी द्वारा दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 के अधीन देय कर की रिटर्न

(सभी अंकों को समीपतम रुपये में लिखा जाये)

स्वामी का नाम और पता _____

विलासिता कर आर सी सं० _____

अवधि _____ से _____ तक

भाग-I

कर योग्य कुल प्राप्तियों की गणना

1.	अवधि के दौरान स्वामी की कुल बिक्री राशि (अधिनियम की धारा 3 (4) को ध्यान में रखते हुए इसे होटल/ व्यायामशाला /स्वास्थ्य क्लब एवं स्पा में प्रदान की जाने वाली सुख सुविधा संबंधी प्रभार दर की घोषणा के आधार पर तथा बैंकवेट हाल के मामले में वास्तविक प्राप्ति के अनुसार परिकलित किया जाये।)	
2.	कटौतियां:	
क	प्राप्तियों की राशि, जहां होटल में ठहरने का किराया 750/-रुपये प्रति कमरे प्रतिदिन से कम है और उस पर कर देय नहीं है।	
ख	प्राप्तियों की राशि, जिन पर डिप्लोमैट्स को प्रदान की गई विलासिता के कारण कर देय नहीं है	
ग	प्राप्तियों की राशि जिस पर वैट वसूला गया या वसूलनीय है	
घ	प्राप्तियों की राशि, जिसके लिए सरकार ने धारा 22 के अधीन कर से छूट प्रदान की है।	
ङ	प्राप्तियों की राशि जिन पर अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार कर देय नहीं है।	

च	नियम 17 के अधीन कटौती		
छ	कुल कटौतियां (क+ख+ग+घ+ङ+च)		
3.	कर योग्य प्राप्तियों की कुल राशि (1-2)		

भाग-II
देय कर की गणना

4. कर की गणना

क्र० सं०	प्राप्तियों की श्रेणियां जो भाग-1 की क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित कुल बिक्री के घटक हैं	कर की प्रतिशत में	दर	कुल बिक्री से राशि प्राप्त (क्रम सं० 3 भाग-1 के अनुसार)	कॉलम 3 में निर्दिष्ट दर पर देय कर
1	2	3		4	5
1	जहां किसी होटल में उपलब्ध आवास 750/रुपये या अधिक लेकिन 1000/-रुपये से कम प्रतिकक्ष प्रतिदिन है				
2	जहां किसी होटल में उपलब्ध आवास 1000/-रुपये या अधिक प्रतिकक्ष प्रतिदिन है				
3	प्रीतिभोजशाला में उपलब्ध सुख सुविधा				
4	व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब में उपलब्ध सुख सुविधा				
5	स्पा में उपलब्ध सुख सुविधा				
	जोड़				

भाग-III
रिटर्न के अनुसार देय राशि/वापसी योग्य राशि

5	भाग-II के अनुसार देयकर		
6	कर के भुगतान का विवरण		
क	धन वापसी/समायोजित के अन्तर्गत क्रेडिट राशि दिनांक _____ के आदेश सं०_____		
ख	पिछली रिटर्न अवधि _____ से _____ तक की कर वापसी जो कि इस रिटर्न में समायोजित की जाती है		
ग	उक्त (क) एवं (ख) के कारण कटौती की कुल राशि		
7	कुल देय कर (5-6)		
8	कुल प्रदत्त राशि: चालान सं०_____ तिथि_____		
	चालान सं०_____ तिथि_____		
	चालान सं०_____ तिथि_____		
9	कुल देय/वापसी योग्य राशि, यदि कोई है (7-8)		
10	धारा 16 (2) के अन्तर्गत ब्याज		
11	धारा के अन्तर्गत दंड		
12	इस रिटर्न के अनुसार देय/वापसी योग्य राशि (9+10+11)		
13	इस रिटर्न के साथ जमा की गई राशि (अंकों में) (शब्दों में).....		

14. राशि का भुगतान डी.डी./पी.ओ. संख्या _____ दिनांक _____ रुपये _____ बैंक (बैंक का नाम) के पक्ष में _____

में _____ (नाम) पता _____

इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक शपथ लेता हूँ कि उक्त फार्म का विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करने वाले का पद

“फार्म-8क
(नियम 12(1)(2) एवं 16 (1) देखें)

Page 18 of 23

(ठ) फार्म 15 के स्थान पर निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“फार्म-15

(नियम 24 (1))

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा 13/15 के अधीन कर निर्धारण के आदेश

स्थापना का नाम और पता _____

धारा 13/15 के अधीन कर निर्धारण फार्म 12 में नोटिस जारी/प्रदान की तिथि _____

विलासिता कर आर.सी. संख्या	
कर निर्धारण की अवधि	_____ से _____ तक
प्रस्तुत लेखा पुस्तकें	
लेखांकन विधि	

भाग-I

कराधान संबंधी बिक्री की राशि

		स्वामी की रिटर्न के अनुसार (रुपये में)	धारा 13/15 के अन्तर्गत सुनिश्चित (रुपये में)
1.	अवधि के दौरान स्वामी की कुल बिक्री राशि		
2.	कटौतियां:		
क	प्राप्तियों की राशि, जहां होटल में ठहरने का किराया 750/-रुपये प्रति कमरे प्रतिदिन से कम है और उस पर कर देय नहीं है।		
ख	प्राप्तियों की राशि, जिन पर डिप्लोमैटस को प्रदान की गई विलासिता के कारण कर देय नहीं है		

ग	प्राप्तियों की राशि जिस पर वैट वसूला गया या वसूलनीय है (वैकवेट हाल के मामले में नियम 3 (1) (i) तथा (ii) देखें)		
घ	प्राप्तियों की राशि, जिसके लिए सरकार ने धारा 22 के अधीन कर से छूट प्रदान की है।		
ङ	प्राप्तियों की राशि जिन पर अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार कर देय नहीं है। (जहां स्थापना के कर्मचारी को प्रदान की गई विलासिता पर कोई कर नहीं लगाया जाता या रियायती दरों पर है)		
च	नियम 17 के अधीन कटौती		
छ	कुल कटौतियां (क+ख+ग+घ+ङ+च)		
3.	कर योग्य प्राप्तियों की कुल राशि		

भाग-II
कर की गणना

4. कर की गणना (कर की दर —————)

क्र० सं०	प्राप्तियों की श्रेणियां जो भाग-1 की क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित कुल बिक्री के घटक हैं	स्वामी की	रिटर्न के अनुसार		धारा 13/15 के अन्तर्गत सुनिश्चित (रुपये में)	
		(रुपये में)	प्राप्तियों की कुल राशि	देय कर	प्राप्तियों की कुल राशि	देय कर
1	जहां किसी होटल में उपलब्ध आवास 750/रुपये या अधिक लेकिन 1000/-रुपये से कम प्रतिकक्ष प्रतिदिन है					
2.	जहां किसी होटल में उपलब्ध आवास 1000/-रुपये या अधिक प्रतिकक्ष प्रतिदिन है					
3	प्रीतिभोजशाला में उपलब्ध सुख सुविधा					
4	व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब में उपलब्ध सुख सुविधा					
5	स्पा में उपलब्ध सुख सुविधा					
	जोड़					

भाग-III
रिटर्न के अनुसार देय राशि/वापसी योग्य राशि

5	भाग-II के अनुसार देयकर		
6	कर के भुगतान का विवरण		
क	धन वापसी/समायोजित के अन्तर्गत क्रेडिट राशि दिनांक _____ के आदेश सं० _____		
ख	यदि कर का अग्रिम भुगतान किया गया हो तो चालान सं० _____ दिनांक _____ राशि _____ इस रिटर्न में देय कर के लिये समायोजित		
ग	रिटर्न के साथ दी गई राशि: उक्त (ख) एवं (ग) पर किए गए भुगतान का विवरण :- चालान सं० _____ तिथि _____ राशि _____ चालान सं० _____ तिथि _____ राशि _____ चालान सं० _____ तिथि _____ राशि _____ चालान सं० _____ तिथि _____ राशि _____		
7	उक्त (क) (ख) तथा (ग) के आधार पर कटौती की गई कुल राशि		
8	यदि दकाया देयकर/धन वापसी शेष है, तो		
9	परिवर्धन:		
क	धारा 16 (2) के अन्तर्गत ब्याज		
ख	धारा 16 (1) (क) (i) के अन्तर्गत दंड		
ग	धारा 16 (1) (ख) _____ (ii) के अन्तर्गत दंड		
घ	धारा 17 के अन्तर्गत दंड		
ङ	धारा 42 के अन्तर्गत दंड		
च	नियम 52 के अन्तर्गत दंड		
छ	धारा 27 का उल्लंघन कर के संग्रह की जा रही राशि की जम्मी		
ज	उक्त (क) से (छ) के आधार पर जोड़ी गई कुल राशि		
10	यदि कोई हो तो देय अन्तिम राशि/धन वापसी		

भाग-IV
कर निर्धारण आदेश

मुहर
स्थान
तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 कामरा)
उप-सचिव-III (वित्त)

दिनांक: 03/08/12

सं0फा0 12(2)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/551
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
6. आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. गार्ड फाईल ।
10. वेबसाईट ।

(एस0 के0 कामरा)
उप सचिव-III (वित्त)